



महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन

२०७८

पुर्वीचौकी गाउँपालिका

डोटी



महालेखापरीक्षकको कार्यालय

काठमाडौं, नेपाल




महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन



२०७८

पुर्वीचौकी गाउँपालिका
डोटी



महालेखापरीक्षकको कार्यालय

काठमाडौं, नेपाल



महालेखापरीक्षकको
वार्षिक प्रतिवेदन
२०७८



पुर्वीचौकी गाउँपालिका
डोटी

महालेखापरीक्षकको कार्यालय

काठमाडौं, नेपाल

दूरदृष्टि (VISION)

जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा
प्रवर्द्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था

*(Be Credible Institution in
Promoting Accountability,
Transparency and Integrity)*

राष्ट्रलाई स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय
लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने

*(Provide independent
and Quality Audit Service
to Nation)*

गन्तव्य (MISSION)

मूल्य मान्यता (Core Values)

| | |
|--------------|--------------------------|
| निष्ठा | <i>(Integrity)</i> |
| स्वतन्त्रता | <i>(Independence)</i> |
| व्यावसायिकता | <i>(Professionalism)</i> |
| पारदर्शिता | <i>(Transparency)</i> |
| जवाफदेहिता | <i>(Accountability)</i> |

महालेखापरीक्षकको भनाइ

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको २०७८/७९ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ ।



स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीय तह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐन, नियमको आधारमा सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षणको उद्देश्यमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता एवं पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु साथै स्रोत साधनको प्राप्ति र परिचालन सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता भए नभएको विश्लेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रदान गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चात जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रियाका विषयहरू मिलाएर कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सहितको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।

यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरू मूलतः आवश्यक कानूनहरू तर्जुमा नगरेको, तर्जुमा भएका कानूनहरू राजपत्रमा प्रकाशन नगरेको, आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आय न्यून रहेको, बक्यौता असुलीमा प्रभावकारिता नआएको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, खर्च पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरेको, वर्षान्तमा बढी खर्च गरेको, खरिद कानून विपरीत सोझै खरिद गरेको, प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको बाँकी अनुदान वर्षान्तमा फिर्ता नगरेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च गरेको लगायतका छन् । त्यसैगरी विकास निर्माणतर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, टुक्रे आयोजनाको छनौट गरी खर्च गरेको, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीमा परामर्शदातामाथि निर्भर रहेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, जनसहभागिता नजुटेको जस्ता समस्या रहेका छन् ।

स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएको, दरबन्दी बेगरका कर्मचारी नियुक्ति गरेको, उपभोक्ता समितिको कार्यमा सेवा प्रवाह सहज र व्यवस्थित नभएको, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा जिन्सी एंव सम्पत्ति अभिलेख नराखेको, सञ्चालित योजना, कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहको अभिलेख नराखेको, बैङ्क हिसाब नभिकेको, लेखाङ्कन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा भएको देखिएन । लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू आवश्यक कारवाही गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्दछ ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको बाबजुद यथासम्भव स्थानीय तहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भई लेखापरीक्षण गरिएको र लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय तहका प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण कार्यमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

२०७९ चैत्र

(टंकमणि शर्मा दंगाल)

महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय Office of the Auditor General

अनूपनगर, काठमाडौं, नेपाल
Anupnagar, Kathmandu, Nepal

नेपाल
प्रादेशिक लेखापरीक्षण महानिदेशनालय
(सुदूरपश्चिम प्रदेश)

पत्र संख्या: २०७९।८०

च.नं. ५३१

मिति: २०७९।१२।२९

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री अध्यक्षज्यु

पूर्वीचौकी गाँउपालिका, गाँउकार्यपालिकाको कार्यालय,
डोटी।

कैफियत सहितको राय

हामीले पूर्वीचौकी गाँउपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेस भएको २०७९ आषाढ ३२ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरणले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनबमोजिम सारभूतरूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ।

कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार

- गाँउपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्ण रूपमा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन ।
- लेखापरीक्षणबाट रु.३ करोड २७ हजार बेरुजू देखिएको छ। सो सम्बन्धमा प्रतिक्रिया उपलब्ध नभई बाँकी बेरुजू असुल गर्नुपर्ने रु.५ लाख ४८ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु.१ करोड २० लाख ८३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.४९ लाख १८ हजार र पेशकी रु.१ करोड २४ लाख ७८ हजार रहेको छ । पालिकाको गतवर्ष सम्म रु.७ करोड ७५ लाख ३८ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा यसवर्ष कायम भएको बेरुजू समेत हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू रु.१० करोड ७५ लाख ६५ हजार रहेको छ । गाँउपालिकाको बेरुजू वर्गीकरण र अद्यावधिक बेरुजू स्थितिको व्यहोरा यसैसाथ संलग्न छ ।
- गाँउपालिकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लगायतका व्यहोरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। कार्यालयबाट सम्प्रेषित लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसको अङ्गको रूपमा रहेको छ ।
- आम्दानी तथा खर्चको स्रोत नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेशकी बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसँग हामी स्वतन्त्र छौं। त्यसैगरी स्वीकृत आचारसंहिताको पालना गरी कार्यसम्पादन गरेका छौं। लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गल्तीका कारण वित्तीय विवरण सारभूतरूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने जिम्मेवारी पालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ। गाउँ कार्यपालिका, अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन्।

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गल्ती समेतका कारण सारभूतरूपमा गलत आँकडा रहित होस् भनी उचित आश्रयता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो। लेखापरीक्षणमा उचित आश्रयताले सामान्य स्तरको आश्रयतासम्म प्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गर्ने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गल्ती पत्ता लगाउन सक्ने निश्चितता भने हुँदैन। वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विशेष वा जालसाजीजन्य वा अन्य गल्तीलाई सारभूतरूपमा गलत आँकडा मानिएको छ।

(तारा प्रसाद पाण्डे)

नायब महालेखापरीक्षक

पूर्वीचौकी गाँउपालिका, डोटी

१. चालु वर्षको बेरुजू २०७८।७९

१.१. बेरुजू बर्गिकरण (बिनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

(रु. हजारमा)

| प्रारम्भिक बेरुजू | | | प्रतिक्रियाबाट फछ्यौट | | | बाँकी बेरुजू | | | बेरुजू | | | | | | |
|-------------------|------|-------|-----------------------|------|-----|--------------|------|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|--------|
| दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | असुल गर्नुपर्ने | नियमित गर्नुपर्ने | | | | | पेस्की |
| संश्लिष्ट | तगती | | संश्लिष्ट | तगती | | संश्लिष्ट | तगती | | | अनियमित भएको | प्रमाण कागजात पेश नभएको | राजस्व लगत जिम्मेवारी नसारेको | सोधभर्ना नलिएको | जम्मा | |
| ४४ | ३२ | ३००२७ | ० | ० | ० | ४४ | ३२ | ३००२७ | ५४८ | ४९९८ | १२०८३ | ० | ० | १७००९ | १२४७८ |

२. अघावधिक बेरुजू स्थिति २०७८।७९

(रु. हजारमा)

| जिल्ला | गत वर्ष सम्मको बाँकी | समायोजन | यो वर्षको फछ्यौट | बाँकी बेरुजू | यो वर्ष सम्परीक्षणबाट कायम बेरुजू | यो वर्षको बेरुजू | कुल बेरुजू बाँकी |
|-----------------------------|----------------------|---------|------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| पूर्वीचौकी गाँउपालिका, डोटी | ७७५३८ | ० | ० | ७७५३८ | ० | ३००२७ | १०७५६५ |

आर्थिक कारोबारको स्थिति

आर्थिक बर्ष: २०७८/७९

कार्यालय र स्थान : पुर्विचौकी गाउँपालिका, डोटी , पूर्वीचौकी गाउँपालिका , डोटी

| पद | नाम | कार्यकाल सुरु मिति | कार्यकाल समाप्त मिति |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| कार्यालय प्रमुख | Tek Bahadur Khadka | २०७६-१-२ | हाल सम्म कार्यरत |
| बेरुजु रकम | | | ३०,०२७,३८१.५ |

स्थानीय तह :

| गत बर्षको जिम्मेवारी | | १,४७,३४,०३४.५४ | |
|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| आम्दानी | | खर्च | |
| संघीय सरकारबाट अनुदान | ३२,९९,५६,१३४ | चालु खर्च | २६,४०,०६,२४२.६८ |
| प्रदेश सरकारबाट अनुदान | २,२८,६५,३१३ | पूँजीगत खर्च | १०,७६,९६,०२१ |
| राजस्व बाँडफाँट | ७,५९,८८,४५८.५ | वित्तीय/अन्य व्यवस्था | १८,८६,८२,३४२.२१ |
| आन्तरिक आय | २१,८०,२५८ | | |
| अन्य आय | १४,८२,३७,२६४ | | |
| कुल आय | ५७,९२,२७,४२७.५ | कुल खर्च | ५६,०३,८४,६०५.८९ |
| बाँकी मौज्दात | | | ३,३५,७६,८५६.१५ |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|---------|-------------|--|--|------------|--|--|------|-------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|-------|----------------|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|-----------------|--|--|--------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|-----------------|--|
| १ | | | <p>परिचय</p> <p>स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न र स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यस पुर्वीचौकी गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई लाभको वितरणमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु यस पालिकाको उद्देश्य हो। यो पालिका सुदुरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत ७ वटा वडा, २२४८३ जनसंख्या रहेको छ भने ११७।६५ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल मा फैलिएको छ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | | | <p>वित्तीय प्रतिवेदन</p> <p>स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोजिम पालिकाले पेश गरेको वित्तीय विवरण अनुसार प्राप्त गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र स्थानिय सरकार सञ्चालनमा भएका आय व्यय हिसाव (सूत्रबाट प्राप्त वित्तीय प्रतिवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को कोषको संक्षिप्त अवस्था निम्नानुसार रहेको छ ।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="8" style="text-align: center;">वित्तीय प्रतिवेदन</th> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;">म.ले.प.फा.नं. २७२</td> </tr> <tr> <td colspan="8">आ.व. : २०७८/७९ अवधी : २०७८/०४/०१ - २०७९/०३/३२</td> </tr> <tr> <th colspan="8" style="text-align: center;">प्राप्ति भुक्तानी हिसाव</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">विवरण</th> <th rowspan="2">टिप्पणी</th> <th colspan="3">यस वर्ष रु.</th> <th colspan="3">गतवर्ष रु.</th> </tr> <tr> <th>बजेट</th> <th>आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी</th> <th>वस्तुगत/सोझै भुक्तानी</th> <th>जम्मा</th> <th>आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी</th> <th>वस्तुगत/सोझै भुक्तानी</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्राप्ति (क+ख)</td> <td></td> <td>४६,७८,२५,३०३</td> <td>३९,४८,३०,७०९. १०</td> <td></td> <td>३९,४८,३०,७० ९.१०</td> <td>४२,७७,०३,७२ ८.३९</td> <td></td> <td>४२,७७,०३,७२८.३९</td> </tr> <tr> <td>क. प्राप्ति (संचितकोषमा आम्दानी बाँधिने)</td> <td></td> <td>४६,५६,०५,३००</td> <td>३८,६८,९८,०९९. ६०</td> <td>०</td> <td>३८,६८,९८,०९ ९.६०</td> <td>४२,२८,९४,६९ ४.३९</td> <td>०</td> <td>४२,२८,९४,६९४.३९</td> </tr> </tbody> </table> | वित्तीय प्रतिवेदन | | | | | | | | म.ले.प.फा.नं. २७२ | | | | | | | | आ.व. : २०७८/७९ अवधी : २०७८/०४/०१ - २०७९/०३/३२ | | | | | | | | प्राप्ति भुक्तानी हिसाव | | | | | | | | विवरण | टिप्पणी | यस वर्ष रु. | | | गतवर्ष रु. | | | बजेट | आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी | वस्तुगत/सोझै भुक्तानी | जम्मा | आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी | वस्तुगत/सोझै भुक्तानी | जम्मा | प्राप्ति (क+ख) | | ४६,७८,२५,३०३ | ३९,४८,३०,७०९. १० | | ३९,४८,३०,७० ९.१० | ४२,७७,०३,७२ ८.३९ | | ४२,७७,०३,७२८.३९ | क. प्राप्ति (संचितकोषमा आम्दानी बाँधिने) | | ४६,५६,०५,३०० | ३८,६८,९८,०९९. ६० | ० | ३८,६८,९८,०९ ९.६० | ४२,२८,९४,६९ ४.३९ | ० | ४२,२८,९४,६९४.३९ | |
| वित्तीय प्रतिवेदन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| म.ले.प.फा.नं. २७२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| आ.व. : २०७८/७९ अवधी : २०७८/०४/०१ - २०७९/०३/३२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प्राप्ति भुक्तानी हिसाव | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| विवरण | टिप्पणी | यस वर्ष रु. | | | गतवर्ष रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | बजेट | आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी | वस्तुगत/सोझै भुक्तानी | जम्मा | आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी | वस्तुगत/सोझै भुक्तानी | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प्राप्ति (क+ख) | | ४६,७८,२५,३०३ | ३९,४८,३०,७०९. १० | | ३९,४८,३०,७० ९.१० | ४२,७७,०३,७२ ८.३९ | | ४२,७७,०३,७२८.३९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क. प्राप्ति (संचितकोषमा आम्दानी बाँधिने) | | ४६,५६,०५,३०० | ३८,६८,९८,०९९. ६० | ० | ३८,६८,९८,०९ ९.६० | ४२,२८,९४,६९ ४.३९ | ० | ४२,२८,९४,६९४.३९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | | | | | | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---------------------------------------|----|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| | | | ११००० कर | ११ | ८,५४,८०,००० | ७,६१,७०,४५८.५० | ० | ७,६१,७०,४५८.५० | ६,७५,९४,२९६.६४ | ० | ६,७५,९४,२९६.६४ |
| | | | १३००० अनुदान | | ३६,६२,७५,३०० | ३०,८७,२९,३८३.१० | ० | ३०,८७,२९,३८३.१० | ३५,२१,४१,८९० | ० | ३५,२१,४१,८९० |
| | | | संघीय सरकार | १२ | ३३,५८,०९,३०० | २८,७८,२९,४७३.१० | ० | २८,७८,२९,४७३.१० | ३१,६६,६५,८९० | ० | ३१,६६,६५,८९० |
| | | | प्रदेश सरकार | १२ | ३,०४,६६,००० | २,०९,९९,९१० | ० | २,०९,९९,९१० | ३,५४,७६,००० | ० | ३,५४,७६,००० |
| | | | १४००० अन्य राजस्व | | १,३३,५०,००० | १८,५३,१७८ | ० | १८,५३,१७८ | ३१,५८,५०७.७५ | ० | ३१,५८,५०७.७५ |
| | | | १५००० विविध प्राप्ति | | ५,००,००० | १,४५,०८० | ० | १,४५,०८० | ० | ० | ० |
| | | | ख. अन्य प्राप्ति | | २२,२०,००३ | ७९,३२,६०९.५० | ० | ७९,३२,६०९.५० | ४८,०९,०३४ | ० | ४८,०९,०३४ |
| | | | वितरण गर्न बाकी राजस्व | | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | | | कोषहरु | | २२,२०,००३ | २९,८८,६५८.५० | ० | २९,८८,६५८.५० | १०,६०,००० | ० | १०,६०,००० |
| | | | धरौटी | | ० | ४९,४३,९५१ | ० | ४९,४३,९५१ | ३७,४९,०३४ | ० | ३७,४९,०३४ |
| | | | संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम | | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | | | भुक्तानी (ग+घ) | | ४७,८६,४४,२०४.७३ | ३७,३१,०१,९३२.९९ | ० | ३७,३१,०१,९३२.९९ | ३५,५२,१२,१५३.१५ | ० | ३५,५२,१२,१५३.१५ |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | | | | | बेरुजु रकम | |
|------|---------------|--------------|---|----|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| | | | ग. भुक्तानी (सञ्चित कोषबाट) | | ४७,६४,२४,२०१.७३ | ३७,१७,०२,२६३.६८ | | ३७,१७,०२,२६३.६८ | ३५,२४,४८,७९१.१५ | | ३५,२४,४८,७९१.१५ |
| | | | २१००० पारिश्रमिक / सुविधा | १८ | १४,४३,९७,३४० | १२,४१,०१,४२०.१० | ० | १२,४१,०१,४२०.१० | १२,९१,५१,२५०.४० | ० | १२,९१,५१,२५१.४० |
| | | | २२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग | १८ | १०,८९,७४,५६१.७३ | ८,९१,५९,३९१.४६ | ० | ८,९१,५९,३९१.४६ | ८,६८,९७,६८३.२० | ० | ८,६८,९७,६८३.२० |
| | | | २४००० ब्याज, सेवा शुल्क तथा बैंक कमिशन | १८ | ० | ० | ० | ० | १,३९,४९२ | ० | १,३९,४९२ |
| | | | २५००० सहायता (Subsidy) | १८ | ४,१२,९७,००० | ३,५३,८७,७१८.१२ | ० | ३,५३,८७,७१८.१२ | २,७९,३३,२९१ | ० | २,७९,३३,२९१ |
| | | | २६००० अनुदान | १८ | ३,५०,००० | २,५०,००० | ० | २,५०,००० | २,५,६८,००० | ० | २,५,६८,००० |
| | | | २७००० सामाजिक सुरक्षा | १८ | १,५०,७०,००० | १,३६,०६,४१० | ० | १,३६,०६,४१० | ६६,७०,८२६.८० | ० | ६६,७०,८२६.८० |
| | | | २८००० अन्य खर्च | १८ | १६,०८,००० | १५,०१,३०३ | ० | १५,०१,३०३ | ११,५७,९९२ | ० | ११,५७,९९२ |
| | | | ३१००० गैर वित्तीय सम्पत्ती / पूँजीगत खर्च | १८ | १६,४७,२७,३०० | १०,७६,९६,०२१ | ० | १०,७६,९६,०२१ | ९,७९,३०,२५४.७५ | ० | ९,७९,३०,२५४.७५ |
| | | | ३२००० वित्तीय सम्पत्ति | १८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| | | | घ. अन्य भूक्तानी | | २२,२०,००३ | १३,९९,६६९.३१ | | १३,९९,६६९.३१ | ३५,५२,१२,१५३.१५ | | ३५,५२,१२,१५३.१५ |
| | | | कोषहरु | | २२,२०,००३ | ० | ० | ० | ९,४९,६०० | ० | ९,४९,६०० |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | | | | | | बेरुजु रकम |
|---|------------|-----------|---------------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|------------|
| | | | धरौटी | ० | १६,८४,९६५.३१ | ० | १६,८४,९६५.३१ | १८,१३,७६२ | ० | १८,१३,७६२ | |
| | | | संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| | | | कट्टी रकम भुक्तानी/दाखिला गर्न बाकी | | (२,८५,२९६) | | (२,८५,२९६) | | | | |
| | | | ड. यो वर्षको बचत (न्युन) | (१,०८,१८,९०१.७३) | २,१७,२८,७७६.११ | | २,१७,२८,७७६.११ | ७,२४,९१,५७५.२४ | | ७,२४,९१,५७५.२४ | |
| | | | च. गतवर्षको जिम्मेवारी रकम (अ.लया) | | १,२१,३३,३७६.०४ | | १,२१,३३,३७६.०४ | १९,३३,७७०.०१ | | १९,३३,७७०.०१ | |
| | | | वर्षान्तको बाकी रकम (ड + च) | (१,०८,१८,९०१.७३) | ३,३८,६२,१५२.१५ | | ३,३८,६२,१५२.१५ | ७,४४,२५,३४५.२५ | | ७,४४,२५,३४५.२५ | |
| | | | बैंक तथा नगद बाकी | २४ | ३,४०,३९,३५२.१५ | | ३,४०,३९,३५२.१५ | ४,५०,४३,५८७.३१ | | ४,५०,४३,५८७.३१ | |
| <p>पालिकाको सूत्र प्रणालीबाट तयार भएको संचितकोषको आय व्यय विवरणमा देहायका व्यहोराहरू देखिएका छन्:</p> <p>(क) प्रणालीको शुरु मौज्जात: सूत्रले गत वर्षको अन्तिम मौज्जात र यो वर्षको शुरु मौज्जात बराबर देखाएको हुनु पर्दछ । तर सूत्रले गत वर्षको मौज्जात रु. ७,४४,२५,३४५.२५ देखाएकोमा यो वर्षको शुरु मौज्जात रु. १,२१,३३,३७६.०४ देखाएकोले सूत्रले रु. ६२२९१९६९.२१ घटी जिम्मेवारी सारेको देखियो । पालिकाले यसको कारण उल्लेख गरेको छैन । अतः कारण उल्लेख गरी स्पष्ट गरी यसमा सुधार गर्नु पर्दछ ।</p> <p>(ख) अन्तिम बैंक बांकी मौज्जात: पालिकाले पेश गरेको एकिकृत आर्थिक विवरणमा यो वर्षको बांकी बैंक मौज्जात रु. ३३५७६८५६.१५ रहेकोमा सूत्रले रु. ३,४०,३९,३५२.१५ बैंक मौज्जात देखाएकोले सूत्रको वित्तीय प्रतिवेदनले यथार्थ मौज्जात देखाएको देखिएन । पालिकाले यसको कारण उल्लेख गरेको छैन । अतः फरक पर्नुको कारण स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---|------------|
| | | | <p>(ग) धरौटी : यस वर्षको धरौटी प्राप्तिमा यस प्रतिवेदनले रु. १३३९०० देखाएकोमा सूत्रको म.ले.प.फा.नं. २०७ ले यस वर्षको धरौटी प्राप्ति तथा दाखिला रु.१०३२३८१ देखाएकोमा १३३९०० मात्र देखाएकोले रु. ८९८४८१ घटी आम्दानी देखाएकोमा पालिकाले कारण उल्लेख गरेको छैन । अतः फरक पर्नुको कारण उल्लेख गर्नु पर्दछ ।</p> <p>(घ) राजश्व : सूत्र प्रणालीले राजश्व खातामा दाखिला गरेको रकम उल्लेख गरेको देखिएन ।</p> <p>(ङ) आर्थिक अवस्थाको चित्रण: आर्थिक विवरणको यथार्थता: सूत्रले तयार गरेको वित्तीय प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं. २७२) ले पालिकाको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको चित्रण गरेको हुनु पर्दछ । तर सूत्र प्रणालीमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिग्यास प्रणालीबाट हुने आम्दानी र खर्चका कारोवारहरूलाई सूत्रमा समावेश नगरेको कारणले सूत्रबाट तयार भएको वित्तीय प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं. २७२) ले पालिकाको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गर्न सक्दैन । अतः पालिकाबाट हुने सबै प्रकारका आर्थिक कारोवारहरूलाई सूत्रमा समावेश गरी यसमा सुधार गर्नु पर्दछ ।</p> | |
| ३ | | | <p>लेखापरीक्षणको क्रममा असुली लेखापरीक्षणको क्रममा प्रोत्साहन भत्ता कर कट्टी वापतको रु. ४४९३०, स्थानीय भत्ता कर कट्टी वापतको रु. ९५९०२ र अग्रिम कर कट्टी वापतको रु. २४३० गरी जम्मा रु. १४३,२६२ असुली भएको छ ।</p> | |
| ४ | | | <p>बजेट तथा कार्यक्रम</p> | |
| ४.१ | | | <p>बजेट पेश, पारित र अख्तियारी- स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र पेश गर्ने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहमा प्रमुख श्री दिर्घराज बोगटीले २०७८।३।१० गते रु.५० करोड ४० लाख १५ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७८।४।२१ मा पारित भएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुखले २०७८।६।५ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र व्ययको अनुमान पेश गरी पारित गर्ने र अख्तियारी दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | |
| ४.२ | | | <p>क्षेत्रगत बजेट र खर्च - स्थानीय तहको एकीकृत, समानुपातिक र दिगो विकासका क्षेत्रगत रूपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पालिकाको २०७८।७९ को क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति देहायअनुसार रहेको देखिन्छ । सो अनुसार</p> | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|---|---------------|--------------|----------|------------------------|--------------|----------|----------|-------|-----------------|-----------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|-------|------------------------------|---|---|---|------------------------------|----------|---------|------|-----------------------------|---|---|---|----------------------------------|-----------|----------|-------|--------------|-------------------|------------------|--|--|
| | | | <p>क्षेत्रगत हिसावमा ५ वटा क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गरी वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन को क्षेत्र र वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको देखिएन । उक्त क्षेत्रमा पनि बजेट व्यवस्था गरी सन्तुलित विकास गर्नु पर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मुख्य क्षेत्र</th> <th>वार्षिक बजेट</th> <th>खर्च रकम</th> <th>कुल खर्च मध्ये प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आर्थिक विकास</td> <td>६००६००००</td> <td>४५०८०२५३</td> <td>१२.१३</td> </tr> <tr> <td>सामाजिक क्षेत्र</td> <td>२२४०९३०००</td> <td>१८८८९१९३६</td> <td>५०.८०</td> </tr> <tr> <td>पूर्वाधार विकास क्षेत्र</td> <td>६६८९०३००</td> <td>४८४१२९९२</td> <td>१३.०२</td> </tr> <tr> <td>वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन</td> <td>०</td> <td>०</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>संस्थागत विकास र सेवा प्रवाह</td> <td>१०१८८०००</td> <td>६११३९६०</td> <td>१.६४</td> </tr> <tr> <td>वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन</td> <td>०</td> <td>०</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च</td> <td>१०६१९२९०१</td> <td>८३३२८९२२</td> <td>२२.४१</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td>४७६४२४२०१७</td> <td>३७१८२८०६३</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | मुख्य क्षेत्र | वार्षिक बजेट | खर्च रकम | कुल खर्च मध्ये प्रतिशत | आर्थिक विकास | ६००६०००० | ४५०८०२५३ | १२.१३ | सामाजिक क्षेत्र | २२४०९३००० | १८८८९१९३६ | ५०.८० | पूर्वाधार विकास क्षेत्र | ६६८९०३०० | ४८४१२९९२ | १३.०२ | वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन | ० | ० | ० | संस्थागत विकास र सेवा प्रवाह | १०१८८००० | ६११३९६० | १.६४ | वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन | ० | ० | ० | कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च | १०६१९२९०१ | ८३३२८९२२ | २२.४१ | जम्मा | ४७६४२४२०१७ | ३७१८२८०६३ | | |
| मुख्य क्षेत्र | वार्षिक बजेट | खर्च रकम | कुल खर्च मध्ये प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| आर्थिक विकास | ६००६०००० | ४५०८०२५३ | १२.१३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | २२४०९३००० | १८८८९१९३६ | ५०.८० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पूर्वाधार विकास क्षेत्र | ६६८९०३०० | ४८४१२९९२ | १३.०२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन | ० | ० | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| संस्थागत विकास र सेवा प्रवाह | १०१८८००० | ६११३९६० | १.६४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन | ० | ० | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च | १०६१९२९०१ | ८३३२८९२२ | २२.४१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | ४७६४२४२०१७ | ३७१८२८०६३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४.३ | | | <p>योजना संशोधन- पालिकाको नवौँ गाँउ सभा बैठकबाट मिति २०७८।४।२१ मा पारित गरेको बजेट तथा नीति योजना र कार्यक्रमहरू मध्ये २०७८।९।२७ मा बसेको दशौँ गाँउ सभा बैठकले १३३ वटा योजना संशोधन गरी रु.२ करोड ७६ लाख ६४ हजारको ११७ योजना पारित गरेको छ । यसरी नवौँ गाउँ सभाबाट पारित योजनाहरू दशौँ गाँउ सभा बैठकबाट संशोधन गर्नु पर्नाको कारण उल्लेख गरेको देखिएन । पारित योजना संशोधन गर्दा नगरसभा हुँदा पर्याप्त अध्ययन नगरी हतारमा योजना तर्जुमा गरेको र पछि संशोधन गरेको, योजना समयमै सम्पन्न गर्न समयाभाव हुने देखिएको लगायतका अवस्था हुने भएकोले योजना तर्जुमा गर्दा पर्याप्त अध्ययन गरी गर्नु पर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४.४ | | | <p>मध्यकालीन खर्च संरचना-अन्तर सरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा स्थानीय तहले आर्थिक वर्षमा आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयहरूमा सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्दा आगामी ३ वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहित मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाँउपालिकाले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन यस्तो विधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । सीमित श्रोत साधन लाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न, लोकप्रियताकालागि वितरणमूखी र बजेट छर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्न र योजनाको लाभ लागत विक्षेपण गरी प्रभावकारी बनाउन मध्यकालीन खर्च संरचनालाई कार्यान्वयन गर्ने ध्यान दिनु पर्दछ</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|---|------------|-------|-------------|-----|---|--------------------------|-----|----------|---|--|-----|----------|---|----------------------------------|----|---------|---|-----------------------------------|----|----------|---|---------------------|---|---|--|--------------|------------|--|--|
| | | | । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ बमोजिम आवधिक योजना, मध्यमकालिन, दीर्घकालीन विकास योजना, आयोजनाको प्राथमिकिकरण गरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति , लक्ष्य र प्रक्रिया तथा दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकिकरण र सामजस्यता गर्नु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४.५ | | | चौमासिक खर्च र प्रगति विवरण- कार्यालयले चौमासिक र बार्षिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्नेमा कार्यालयले सञ्चालन गरेका स्थानीय स्तर, प्रदेश स्तर, जिल्ला स्तर तथा केन्द्रिय स्तरका योजनाको नियम बमोजिमको ढाँचामा चौमासिक प्रगति विवरण तयार गरेको देखिएन । गाँउपालिकाले कूल रु.३० करोड १ लाख २६ हजार पुँजिगत खर्च गरेकोमा प्रथम चौमासिकमा ११ करोड २ लाख ३७ हजार दोश्रो चौमासिकमा २ करोड २४ लाख ३३ हजार तेश्रो चौमासिकमा रु.१६ करोड ७४ लाख ५६ हजार र असार महिनामा मात्र १६ करोड ६८ लाख ९९ हजार खर्च भएको विवरण प्राप्त भएको छ । कूल खर्चको ५५.६० प्रतिशत खर्च असार महिनामा खर्च लेखेकोले आर्थिक वर्षको अन्तमा बढी खर्च भएको देखिएकोले चौमासिक हिसावले खर्च लेखु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४.६ | | | योजना र कार्यान्वयन- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरी प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुको सूची समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले योजना छनौट गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप दीर्घकालीन प्रकृतिका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टुक्रे योजनामा ठुलो मात्रामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ। साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा दिर्घकालीन उपलब्धी नहुँने हुँदा यस्ता कार्यमा नियन्त्रण गरी ठुला योजना छनौटलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । यस वर्ष उपभोक्ता समितिमाफत भएका कामका योजनाहरु देहायअनुसार छन्: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>योजनासंख्या</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>रु १ लाखभन्दा कमको योजना</td> <td>२८४</td> <td>२०२४५०००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>रु एक लाखएक देखि पाँच लाख सम्मका योजना</td> <td>२०७</td> <td>५१८६९०००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>रु ५ लाखदेखि १० लाख सम्मका योजना</td> <td>१४</td> <td>८९१२०००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>दश लाख एकदेखि ५० लाख सम्मका योजना</td> <td>२७</td> <td>४९२८३३००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>५० लाख भन्दा माथीका</td> <td>०</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>५३२</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | क्र.सं. | विवरण | योजनासंख्या | रकम | १ | रु १ लाखभन्दा कमको योजना | २८४ | २०२४५००० | २ | रु एक लाखएक देखि पाँच लाख सम्मका योजना | २०७ | ५१८६९००० | ३ | रु ५ लाखदेखि १० लाख सम्मका योजना | १४ | ८९१२००० | ४ | दश लाख एकदेखि ५० लाख सम्मका योजना | २७ | ४९२८३३०० | ५ | ५० लाख भन्दा माथीका | ० | ० | | जम्मा | ५३२ | | |
| क्र.सं. | विवरण | योजनासंख्या | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | रु १ लाखभन्दा कमको योजना | २८४ | २०२४५००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | रु एक लाखएक देखि पाँच लाख सम्मका योजना | २०७ | ५१८६९००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | रु ५ लाखदेखि १० लाख सम्मका योजना | १४ | ८९१२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | दश लाख एकदेखि ५० लाख सम्मका योजना | २७ | ४९२८३३०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | ५० लाख भन्दा माथीका | ० | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ५३२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---|-----------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|---------|--|---|-----------------------------------|--------|--|--------|--|---------|--|--|
| | | | | १३०३०९३०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | | | खर्च स्थिति विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५.१ | | | <p>डीपीआर खर्च – बजेट व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मात्र गुरुयोजना डीपीआर लगायतको अध्ययन तयार गर्नु पर्दछ । यस स्थानीय तहले यो वर्ष स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार देहायबमोजिमको कार्य परामर्शदाताबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ । यस्तो अध्ययन कार्य गराउँदा लाग्ने खर्चको लागत अनुमान तयार गर्दा कुनै आधार नलिई स्वीकृत बजेट बमोजिमकै रकम खर्च गरेको उपयुक्त देखिएन । डी.पी.आर.तयार गर्दा गाउँपालिकाको प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग नगर्नाको कारण स्पष्ट गर्दै आगामी दिनमा आगामी दिनमा गाउँपालिकाको प्राविधिक जनशक्तिबाट यस्तो कार्य गराउनु पर्दछ । साथै यसरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा गएको समेत नदेखिएकोले खर्चको सार्थकता समेत देखिएन ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>कार्य विवरण</th> <th>परामर्शदाता</th> <th>खर्च रकम</th> <th>अध्ययनबाट निर्धारण भएको आयोजनाको लागत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सोलार उर्जा सम्भाव्यता अध्ययन</td> <td>वाई.वि.डिजाइनर्स एण्ड डेभलपलर प्रा.लि.</td> <td>१९८८८००</td> <td></td> </tr> <tr> <td>गजढा बगढा पोखरी टिम्पुरदह सडक सर्भेक्षण</td> <td>सरस्वती इन्जिनियरिंग कन्सल्टेन्सी</td> <td>९४९५८८</td> <td></td> </tr> <tr> <td>जम्मा:</td> <td></td> <td>२९३८३८८</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | कार्य विवरण | परामर्शदाता | खर्च रकम | अध्ययनबाट निर्धारण भएको आयोजनाको लागत | सोलार उर्जा सम्भाव्यता अध्ययन | वाई.वि.डिजाइनर्स एण्ड डेभलपलर प्रा.लि. | १९८८८०० | | गजढा बगढा पोखरी टिम्पुरदह सडक सर्भेक्षण | सरस्वती इन्जिनियरिंग कन्सल्टेन्सी | ९४९५८८ | | जम्मा: | | २९३८३८८ | | |
| कार्य विवरण | परामर्शदाता | खर्च रकम | अध्ययनबाट निर्धारण भएको आयोजनाको लागत | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सोलार उर्जा सम्भाव्यता अध्ययन | वाई.वि.डिजाइनर्स एण्ड डेभलपलर प्रा.लि. | १९८८८०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| गजढा बगढा पोखरी टिम्पुरदह सडक सर्भेक्षण | सरस्वती इन्जिनियरिंग कन्सल्टेन्सी | ९४९५८८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा: | | २९३८३८८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५.२ | | | <p>पूँजीगत खर्च- गाँउपालिकाले योजना छनौट गर्दा स्थानिय सरकार संचालन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप दीर्घकालीन प्रकृतिका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टुक्रे योजनामा ठुलो मात्रामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ। साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा दिर्घकालीन उपलब्धी नहुँने हुँदा यस्ता कार्यमा नियन्त्रण गरी ठुला योजना छनौटलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । पालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार पूँजीगतबाट रु.१० करोड ६९ लाख खर्च लेखेकोमा देहाय अनुसारको खरिद विधिबाट खरिद गरेको विवरण प्राप्त भएको छ । उक्त विवरण अनुसारको कूल खर्चको ५५.७४ प्रतिशत खर्च उपभोक्ता समितिबाट खर्च गरेको देखिन्छ । अतः ठुला योजना छनौट गरी बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>खरिद विधि</th> <th>खर्च रकम</th> <th>खर्च प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | खरिद विधि | खर्च रकम | खर्च प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | |
| खरिद विधि | खर्च रकम | खर्च प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|--|------------|----------|-------|--------------------|---------|------|-------------|---------|------|----------------|----------|-------|-------------------|--------|------|---------------|---------|------|-------|-----------|--|--|
| | | | <table border="1"> <tr> <td>बोलपत्र</td> <td>३७०६२६५८</td> <td>३४.६७</td> </tr> <tr> <td>सिलवन्दि दरभाउपत्र</td> <td>१३८९९००</td> <td>१.३०</td> </tr> <tr> <td>सोझै कोटेशन</td> <td>४०५६६३२</td> <td>३.७९</td> </tr> <tr> <td>उपभोक्ता समिति</td> <td>५९५९६५००</td> <td>५५.७४</td> </tr> <tr> <td>गैर सरकारी संस्था</td> <td>३०००००</td> <td>०.२८</td> </tr> <tr> <td>कन्टीन्जेन्सी</td> <td>४४९४६७२</td> <td>४.२०</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td>१०६९००३६२</td> <td></td> </tr> </table> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४९ बमोजिम सार्वजनिक निकायले खरिद कारवाहीको अभिलेख राख्नुपर्नेमा सो बमोजिम अभिलेख व्यवस्थित गरी राखेको छैन । अभिलेख राख्नु पर्दछ ।</p> | बोलपत्र | ३७०६२६५८ | ३४.६७ | सिलवन्दि दरभाउपत्र | १३८९९०० | १.३० | सोझै कोटेशन | ४०५६६३२ | ३.७९ | उपभोक्ता समिति | ५९५९६५०० | ५५.७४ | गैर सरकारी संस्था | ३००००० | ०.२८ | कन्टीन्जेन्सी | ४४९४६७२ | ४.२० | जम्मा | १०६९००३६२ | | |
| बोलपत्र | ३७०६२६५८ | ३४.६७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सिलवन्दि दरभाउपत्र | १३८९९०० | १.३० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सोझै कोटेशन | ४०५६६३२ | ३.७९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| उपभोक्ता समिति | ५९५९६५०० | ५५.७४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| गैर सरकारी संस्था | ३००००० | ०.२८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कन्टीन्जेन्सी | ४४९४६७२ | ४.२० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | १०६९००३६२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | | | <p>जिन्सी व्यवस्थापन:</p> <p>सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स) अनुसार एकीकृत जिन्सी सामानको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस पालिका अन्तर्गत वडाले दैनिक कार्य संचालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यालय संचालनका मालसामान खरीद तथा अन्य प्रशासनिक खर्चहरू गरिसकेपछि बिलभर्पाईसहित पालिकामा पेश गरी भुक्तानि लगेको देखिन्छ । तर वडाले कार्यालय संचालनका लागि आवश्यक मालसामानहरू जस्तै फोटोकपी पेपर, टोनर, फर्निचर ल्यापटप लगायतका सामानहरू वडा आफैले खरिद गर्ने तथा सोको दाखिला समेत वडामा मात्र हुने र पालिकाको जिन्सी अभिलेखमा उक्त खरिद गरिएका सामानहरूको विवरण उल्लेख नगरेको देखिएको छ । साथै लेखापरीक्षको क्रममा वडाको जिन्सी किताब माग गरी परीक्षण गर्दा वडाले नखप्ने सामानहरू दाखिला गर्ने गरेको समेत देखिएन । जसबाट वडाबाट खरिद भएका भनी भुक्तानीका लागि पालिकामा पेश भएको बिल तथा दाखिला विवरण यथार्थ हुन भन्न सकिने अवस्था समेत रहेन । तसर्थ यस सम्बन्धमा पालिकाले जिन्सी सामाग्रीहरूको खरिद दाखिला सामान बुझेको भर्पाई जस्ता विवरण अद्यावधिक गर्नुका साथै आवश्यक कारबाही गरी वडाबाट खरिद भएका सामानहरूको यथार्थता यकिन हुनुपर्दछ । अतः जिन्सी सामाग्रीहरूको खरिद व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने तर्फ पालिकाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | | | भ्रमण खर्च: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | |
|------|----------------|-----------|--|------------|----------------|-----------|-----|----------------|--------|--------|
| | | | <p>सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ बमोजिम कार्यालयको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा देखिएका व्यहोराहरु देहाय बमोजिम छन्:</p> <ul style="list-style-type: none"> . अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएको । . नियमानुसार भ्रमण अभिलेख खाता नरहेकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भ्रमण सम्बन्धी एकीकृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको । . भ्रमण पश्चात तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरी भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको । . स्पष्ट प्रयोजन बेगर वडा अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेको । <p>अतः स्पष्ट प्रयोजन र उद्देश्य बेगर अधिकांश ७ दिनको समयावधि राखी भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको अवस्थाबाट भ्रमण खर्च भुक्तानीमा दुरुपयोगको सम्भावना देखियो । त्यसैले तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चमा हुन सक्ने अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कार्यालयको जिम्मेवार व्यक्तिको ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | |
| ८ | | | <p>असुल गर्नुपर्ने:</p> <p>भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमण वा काजमा खटिएका पदाधिकारी वा कर्मचारीले दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने होटल खर्च नपाउने उल्लेख छ। भौ। नं। ३१ मिति २०७८। ०६। २१ बाट गाउँपालिका अध्यक्षलाई दैनिक भ्रमण भत्ता बिल रु. ३९७०० को भुक्तानीमा निजले पेश गरेको सोही मितिको होटल बिलको रु. ७२८९२ सहित जम्मा रु १,१२,५९२ दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी भएको देखिन्छ। यसरी भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ विपरीत निजलाई भएको होटल बिलको कर कट्टी पछिको भुक्तानी असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम</th> <th>कर्मचारीको नाम</th> <th>असुली रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>८.१</td> <td>दिर्घराज बोगटी</td> <td>७१,७९८</td> </tr> </tbody> </table> | क्रम | कर्मचारीको नाम | असुली रकम | ८.१ | दिर्घराज बोगटी | ७१,७९८ | ७१,७९८ |
| क्रम | कर्मचारीको नाम | असुली रकम | | | | | | | | |
| ८.१ | दिर्घराज बोगटी | ७१,७९८ | | | | | | | | |
| ९ | | | <p>आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली:</p> <p>स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्नुपर्नेमा लागु गरेको पाईएन । यस सम्बन्धमा देखिएका अन्य व्यहोराहरु तपशिल बमोजिम रहेका छन् ।</p> <ul style="list-style-type: none"> . स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्याङ्क संकलन अभिलेखांकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सो गरेको पाईएन । | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|---------------|--------------|---|------------|
| | | | <p>. पालिकाले एक आर्थिक वर्षको अन्त्य भित्र भएको आफ्नो आर्थिक कारोबारको अनुसूची १४ बमोजिम ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन ।</p> <p>. पालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पालिकाबाट यस वर्ष संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार गरेको पाईएन ।</p> <p>. अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिम मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाईएन ।</p> <p>. वडा कार्यालयमा रहेका जिन्सी सामान सहितको अभिलेख देखिने गरी पालिकाको मुल जिन्सी खाता अध्यावधिक गरेको पाईएन ।</p> <p>. पालिकाले मातहतका विभिन्न शाखा तथा वडा कार्यालयहरूबाट सामग्री खरिद गरी सो वापत विल रकम भुक्तानी गरिएकोमा उक्त शाखा तथा वडा कार्यालयमा दाखिला गरिएको जिन्सी सामग्रीको अभिलेख कार्यालयको मूल खातामा प्रविष्टी नहुँदा लगत अद्यावधिक नभएको देखियो ।</p> <p>. जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नु पर्नेमा गरेको पाईएन ।</p> <p>. सहायक जिन्सी खातामा कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गरेको सवारी तथा अन्य जिन्सी सामग्रीहरूको सम्बन्धित व्यक्तिले बुझिलिएको दस्तखत गरेको र अवकाश वा सरुवा भएका कर्मचारीले फिर्ता गरेका मालसमान हाल कुन अवस्थामा भएको वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई पुनः प्रयोगका लागि बुझाएको भन्ने रेकर्ड व्यवस्थित रूपमा राखेको पाइएन ।</p> <p>. कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी रसिद विल भर्पाइहरूमा सिलसिलेवार नम्बर राखि कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरेको पाईएन ।</p> <p>. सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४को नियम७ र ८ मा खरिदको गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयारगर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाईएन ।</p> <p>. सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(११) मा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि भौतिकसंरचनाहरूको विवरण खुलाई अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा पालिकाले विगत वर्षदेखि भएको कार्यको लगत नराखेको कारण एकै योजनालाई एक भन्दा बढी वर्षमा बजेट विनियोजन हुन सक्ने देखिएको,</p> <ul style="list-style-type: none"> स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनुसार कामलाई व्यवस्थित गर्न लेखा समिति, सुशासन समिति लगायतका समिति तथा विशेष समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख भएकोमा सुशासन समिति गठन नभएको कारण संस्थागत सुशासनको स्थितिको बारेमा मुल्यांकन गर्न सक्ने स्थिति नभएको सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा २५ मा सूचनाको माग, सो अनुरूप सूचना प्रवाहको अवस्थावा सूचना दिन इन्कार गरेको अभिलेख राख्नुपर्ने | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---|------------|
| | | | <p>जसमा सूचना माग गर्नेको विवरण तथा सूचनाको संक्षिप्त विवरण राख्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा सूचना माग र प्रवाहको अभिलेख व्यवस्थापन नगरेको,</p> <ul style="list-style-type: none"> सामाजिक सुरक्षा भत्तावितरण कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद २ दफा ४ मा भत्ता प्राप्त गरिरहेका लाभग्राहीहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि भत्तालिन चाहेमा दफा ९ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र अनुसूची २ को ढाँचा बमोजिम उल्लेखित समयावधिभित्र वडा कार्यालयमा दरखास्तदिनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो को पालना नभएको सामाजिक सुरक्षा वितरणभत्ता कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद ७ को दफा ३१ मा आगामी आर्थिक वर्षमा भत्ता प्राप्त गर्नेहरूको विवरण सम्बन्धित वडा समितिहरूको सिफारिसका आधारमा स्थानीय सभामा पेश गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा कार्यालयले लाभग्राहीहरूको विवरण सभामा पेश नगरेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद ७ दफा ३२(३) मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरूको नाम नामेसी स्थानीय तहको वेवसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले उक्त कार्यविधिको पालना नगरेको। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद ७ दफा ३२ (२) मा पालिकाले नयाँ नाम दर्ता, चौमासिक भत्ता वितरण सम्बन्धि विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भएता पनि कार्यालयले उक्त विवरणहरू सार्वजनिक गरेको देखिने गरी प्रमाण नराखेको। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को दफा ३४ मा वडा समितिले प्रत्येक चौमासिकमा कम्तीमा एकपटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने र प्राप्त गुनासा तथा सुझावहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा सो को पालना नभएको। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित समितिमा पेश गरेको नदेखिएको, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा स्थानीय तहले नियमावलीको अनुसूची बमोजिम सडकहरू निर्माण, १०० मि सम्मको पुल, लिफ्ट सिँचाइ, सडक स्तरोन्नती लगायतका कार्यमा वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने र नगरेमा दफा ३५ बमोजिम रु. ५ लाख सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भएकोमा स्थानीय तह आफैले पालना नगरेको तथा पालना गराएको सम्बन्धी अभिलेख नराखेको, | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> . सरकार सञ्चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा सो को अभिलेख नराखेको, . वातावरण संरक्षणको एकीकृत दिर्घकालीन योजना तयार नगरेको . सुशासन व्यवस्थापन तथा संचालन नियमावली २०६५ अनुसार नागरिक बडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरुको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तय गरेको पाईएन। . निजामति सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कार्य विवरण लागु गरेको पाईएन। . तसर्थ पालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिए बमोजिम प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। | |
| १० | | | <p>वैदेशिक भ्रमण खर्च:</p> <p>भौ।नं।४९१।२०७८।१२।२६ गाउँपालिका अध्यक्ष दिर्घराज बोगटीको मिति २०७८।१०।२९ देखि २०७८।११।१० सम्म दैनिक भ्रमण बिल अनुसार स्तानबुल भ्रमण गरेको खर्च रु ३१८५०० भुक्तानी भएको देखिन्छ। सम्बन्धित फाँटबारी परीक्षण गर्दा निम्न अनुसार कैफियत देखिएकोले अनियमित देखिएको रु</p> <p>१. Sky Blue Technology Network Ltd. को 7 march 2022 को पत्रबाट युरोपको विभिन्न शहरमा Grid PV solar र सोसँग सम्बन्धित technology को बारेमा अध्ययनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष दिर्घराज बोगटीलाई सहभागि हुन पत्र लेखेको आधारमा भ्रमणमा सहभागि भएको देखियो।</p> <p>१. भ्रमण खर्च नियमावली अनुसार सामान्यतया वैदेशिक भ्रमण गर्नुपूर्व नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्दछ। नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना भ्रमण गर्दा सरकारी कोषबाट खर्च लेखु हुँदैन।नेपाल सरकारले भ्रमण सम्बन्धमा भ्रमण स्वीकृत गरेको देखिएन।</p> <p>२. वैदेशिक भ्रमण जादाँ आयोजक राष्ट्र वा संस्थाले सामान्यतया आउने जाने टिकट तथा पकेट खर्चजस्ता खर्च आफैँ व्यहोर्ने चलन छ। पत्र लेखे संस्था Sky Blue Technology Network Ltd ले के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने हो त्यसको विवरण श्रेस्तामा संलग्न देखिदैन।</p> <p>३. मिति २०७८।१२।०६ मा बसेको गाउँकार्यपालिको बैठकको निर्णय नं. ३ बाट अध्यक्ष दिर्घराज बोगटीको जर्मन भ्रमण खर्च अनुमोदन गरेको अवस्था छ।</p> | ३१८,५०० |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | |
|------|----------------|-----------|--|------------|----------------|-----------|------|----------------|----------|--|
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम</th> <th>कर्मचारीको नाम</th> <th>असुली रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१०.१</td> <td>दिर्घराज बोगटी</td> <td>३,१८,५००</td> </tr> </tbody> </table> | क्रम | कर्मचारीको नाम | असुली रकम | १०.१ | दिर्घराज बोगटी | ३,१८,५०० | |
| क्रम | कर्मचारीको नाम | असुली रकम | | | | | | | | |
| १०.१ | दिर्घराज बोगटी | ३,१८,५०० | | | | | | | | |
| ११ | | | <p>कानून निर्माण एवं कार्यान्वयन स्थिति: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन तथा सोको अधिनमा रही नियम निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार पालिकाले हालसम्म १२ वटा ऐन, ४ वटा नियमावली, १६ कार्यविधि र ३ वटा निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसप्रकार पालिकाले कानूनहरू निर्माण गरी सभा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरे तापनि उक्त कानूनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।</p> | | | | | | | |
| १२ | | | <p>न्याय सम्पादन: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म अधिकार क्षेत्र तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा परेको उजुरीमध्ये मेलमिलाप प्रकृतिका आधारमा विवाद दर्ता भएको ३ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ६ वटा विवाद र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका १२ विवाद गरी कुल १८ वटामध्ये १५ वटा फस्यौट भई बाँकी ३ वटा विवाद फस्यौटहुन बाँकी रहेको देखिन्छ । पालिकाले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई ऐनले तोकेको म्यादभित्र फछ्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | |
| १३ | | | <p>आर्थिक सहायता: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानिय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता चन्दा पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिदैन । तर पालिकाले यस वर्ष रु. १०,००,००० विनियोजन गरी आर्थिक सहायता वापत आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा पालिकाबाट रु २ हजार देखि रु ३ लाख सम्मका दरले ४३ जनालाई १०,००,००० वितरण गरेको छ । संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट आर्थिक सहायता खर्च लेखे कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।</p> | | | | | | | |
| १४ | | | <p>असुल गर्नुपर्ने: आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ को उपनियम ५ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बिल, भर्पाइ, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था छ । भौ।नं। ४७९ मिति २०७८।१२।१५ बाट वडाको सिफारिस अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षबाट विभिन्न व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहायता भुक्तानीका लागि रु.२०५०० को तोकादेशमा शारदा श्रेष्ठलाई रु.२५५०० भुक्तानी गरेको देखिन्छ । तसर्थ बढी भुक्तानी भएको रकम निजबाट असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p> | ५,००० | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | बेरुजु रकम | |
|------|------------|-----------|---|---------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| | | | क्रम | कर्मचारीको नाम | असुली रकम | | |
| | | | १४.१ | शारदा श्रेष्ठ | ५,००० | | |
| १५ | | | गतको जिम्मेवारी, बैंक हिसाब विवरण र दायित्व | | | | |
| १५.१ | | | गत वर्षको जिम्मेवारी: स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा गत विगतको बाँकी, यस वर्ष प्राप्त र खर्च भएको रकम स्पष्ट देखिने गरी हिसाब राखे र जिम्मेवारी एकिन गर्नुपर्दछ । तर स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको बैंक मौज्जात रु. १६७३०५४५.५४ कायम भएकोमा यो वर्ष रु. १९९६५१११- घटी जिम्मेवारी सारेको देखियो । अतः उक्त घटी जिम्मेवारी सारेको सम्बन्धमा एकिन गरी प्रमाण पेश गर्नु पर्ने रु. | | | १,९९६,५११ | |
| | | | क्रम | कर्मचारीको/फर्म/संगठन नाम | असुली रकम | | |
| | | | १५.१.१ | जिम्मेवारी | १९,९६,५११ | | |
| १५.२ | | | बैंक हिसाब मिलान नगरेको: स्थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको ढाँचामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । सो बमोजिम मासिक रूपमा सेस्ता र बैंक खाताको हिसाब मिलान विवरण तयार गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको देहाय बमोजिमको आन्तरिक राजस्व खातामा बढी देखिएको र सन्चितकोष खातामा घटी देखिएको रु. १७०४७७५।५० हिसाब मिलान गर्नुपर्नेमा गरेको छैन । अतः पालिकाले बैंक हिसाब मिलान तयार गरी फरक रकम मिलान गर्नु पर्ने देखिन्छ । | | | | |
| | | | सि. नं. | खाताको नाम | सेस्ता अनुसार २०७९।३।३१ को बाँकी | बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार २०७९।३।३१ को बाँकी | फरक |
| | | | 1 | संचित कोष | 26300033.65 | 24595258.15 | 1704775.5 |
| | | | 2 | चालु खाता | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3 | पूँजीगत खाता | 0 | 0 | 0 |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | | बेरुजु रकम | | | | | | |
|--------|---------------------------|-----------|---|---------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|-----------|--------|--------|----------|---------|
| | | | 4 | प्रकोप व्यवस्थापन खाता | 1309721 | 1309721 | 0 | | | | | | |
| | | | 5 | धरौटी खाता | 4573460 | 4573460 | 0 | | | | | | |
| | | | 6 | विविध खर्च खाता | 1678937.5 | 1678937.5 | 0 | | | | | | |
| | | | 7 | आन्तरिक अनुदान खाता | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 8 | आन्तरिक राजस्व खाता | 0 | 1704775.5 | -1704776 | | | | | | |
| | | | 9 | बाँडफाँडबाट प्राप्त राजस्व खाता | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| १५.३ | | | <p>वित्तीय प्रतिवेदन अन्य भूक्तानी तर्फ (म.ले.प.फा.न. २७२) मा कट्टी रकम दाखिला गर्न बाकी सबै रकम सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्नु पर्दछ । पालिकाले विभिन्न कर रकम बापत कट्टी गरिएको रु.२८५२९६ सम्बन्धीत खातामा दाखिला गरेको नदेखिएकोले उक्त असुल गरी संघीय सन्चित कोष खातामा दाखिला गर्नु पर्ने रु.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>क्रम</th> <th>कर्मचारीको/फर्म/संगठन नाम</th> <th>असुली रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१५.३.१</td> <td>कर रकम</td> <td>२,८५,२९६</td> </tr> </tbody> </table> | | | | क्रम | कर्मचारीको/फर्म/संगठन नाम | असुली रकम | १५.३.१ | कर रकम | २,८५,२९६ | २८५,२९६ |
| क्रम | कर्मचारीको/फर्म/संगठन नाम | असुली रकम | | | | | | | | | | | |
| १५.३.१ | कर रकम | २,८५,२९६ | | | | | | | | | | | |
| १६ | | | <p>प्रशासकीय संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोजिम स्थानीय तहको कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार र स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थानीय तहमा संगठन संरचना कायम हुने व्यवस्था छ । पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ३३ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा लेखापरीक्षण अवधिसम्म १८ जना पदपूर्ति भएको देखिन्छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार कार्य व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित १७ पदहरू रिक्त रहेका छन् । दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन सेवा प्रवाह तथा पालिकाको समग्र कार्य सम्पादनमा असर परेको स्थिति छ । तसर्थ रिक्त पदहरू यथाशक्य छिटो पदपूर्ति गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | |
| १७ | | | <p>वडा सचिव पदपूर्ति:</p> | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | |
|------------|--------------------|---------------------|--|------------|--------------------|---------------------|----------------|---|---|---|---|--|
| | | | <p>पालिका अन्तर्गतका ७ वडा कार्यालयबाट संचालित सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भुमिका रहेका वडा सचिवको दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था देहाय बमोजिम छ। यस पालिकामा १ वडासचिवको पद रिक्त रहेको देखिन्छ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वडा संख्या</th> <th>वडा सचिवको दरबन्दी</th> <th>वडा सचिवको पदपूर्ति</th> <th>रिक्त वडा सचिव</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>७</td> <td>७</td> <td>६</td> <td>१</td> </tr> </tbody> </table> <p>यसप्रकार दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा वडामा दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू लगायत विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा पालिकाको समग्र कार्य सम्पादनमा असर परेको स्थिति छ । तसर्थ रिक्त पदहरू यथाशक्य छिटो पदपूर्ति गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।</p> | वडा संख्या | वडा सचिवको दरबन्दी | वडा सचिवको पदपूर्ति | रिक्त वडा सचिव | ७ | ७ | ६ | १ | |
| वडा संख्या | वडा सचिवको दरबन्दी | वडा सचिवको पदपूर्ति | रिक्त वडा सचिव | | | | | | | | | |
| ७ | ७ | ६ | १ | | | | | | | | | |
| १८ | | | <p>तलबी प्रतिवेदन: निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ख) बमोजिम तलबि प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च नं १८० को मिति २०७६।५।१८ को पत्र अनुसार नेपाल सरकार माननीय मन्त्रिस्तरको निर्णय बमोजिम स्थानीय तहका कर्मचारी र संघबाट काजमा स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटिएका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पारित गर्ने निर्देशन भएको र कार्यालयले तलबी प्रतिवेदन पास गर्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गरेको भएतापनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पास गरेको देखिएन । यस वर्ष पालिकाले तलबी प्रतिवेदन पास नगरी वर्षभरीमा गाउँपालिकातर्फ रु.२ करोड २२ लाख ३१ हजार खर्च लेखेको छ। जिम्मेवार निकायले तलबी प्रतिवेदन पास गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।</p> | | | | | | | | | |
| १९ | | | <p>सेवा करार: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । त्यसै गरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, चौकिदार, माली, बगैँचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर पालिकाले विभिन्न पदमा २४ जना कर्मचारीहरू पालिकामा सेवा करारमा राखी रु. ६९ लाख ८६ हजार ५ सय ८२ खर्च लेखेको छ।</p> | | | | | | | | | |
| २० | | | <p>पदाधिकारी सुविधा:</p> | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---|------------|
| | | | नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार पालिकाबाट देहायबमोजिम रु. ३३,६२,५०० सुविधा वापत भुक्तानी भएको छ । | |
| २१ | | | विद्यालय अनुगमन नियमन व्यवस्था | |
| २१.१ | | | विद्यालयको अनुगमन नियमन व्यवस्था: पालिकाले विद्यालय अनुगमन मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने, मापदण्ड बमोजिम अनुगमन गर्नु पर्ने र अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा गरेको छैन । अतः उक्त मापदण्ड निर्धारण गरी अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । | |
| २१.२ | | | निजी विद्यालय व्यवस्थापन अनुगमन नियमन : निजी विद्यालय व्यवस्थापन र अनुगमन मापदण्ड निर्धारण गर्नु पर्ने, निर्धारित मापदण्ड बमोजिम अनुगमन गर्नु पर्ने, निजी विद्यालय शुल्क निर्धारण तोकिए बमोजिम गरेको नगरेको, शुल्क निर्धारण र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन अनुगमन गर्नु पर्ने र अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा उक्त मापदण्ड निर्धारण गरेको देखिएन । अतः उक्त मापदण्ड निर्धारण कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । | |
| २१.३ | | | सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर: कार्यालयले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको मापन मापदण्ड बनाउनु पर्ने, निर्धारित मापदण्ड बमोजिम अनुगमन गर्नु पर्ने, अनुगमन गरे अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने र अनुगमन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा उक्त गुणस्तर मापनको मापदण्ड नै बनाएको देखिएन । अतः उक्त मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । | |
| २२ | | | सेवा प्रवाहको स्थिति: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा नगरपालिका तथा वडा कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । पालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार यस वर्ष विवाह ७८, सम्बन्ध विच्छेद ९, जन्मदर्ता १५३४ मृत्यु दर्ता ७०, वसाईसराई ३६ वटा दर्ता गरेकोमा पालिकाले पञ्जिकरण दर्ता तथा सिफारिस सम्बन्धमा व्यवस्थित अभिलेख राखेको पाइएन । पालिकाले ऐन बमोजिम सोको अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । | |
| २३ | | | कर शुल्क र आन्तरिक आय कर तथा शुल्क असुली - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर र बहाल विरौटी लगायतका शुल्क उठाउने व्यवस्था रहेको छ । ती आय शीर्षकमा आय अनुमान र असुली स्थिति निम्नानुसार रहेको देखिन्छ । | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|--|-----------|----------|---------------|------------|
| | | | आय शीर्षक | अनुमान | असुली | असुली प्रतिशत | |
| | | | ११३१३ - एकीकृत सम्पती कर | ४५,००,००० | ० | ० | |
| | | | ११३१४ - भुमिकर/मालपोत | ५,००,००० | १,३०,००० | २६ | |
| | | | ११६३१ - कृषितथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा लागने कर | १,००,००० | ० | ० | |
| | | | ११६९१ - अन्य कर | २०,००,००० | ५२००० | २६ | |
| | | | १४१५१ - सरकारी सम्पतीको वहालबाट प्राप्त आय | ९४,५०,००० | ७,४४,००० | ७.८७ | |
| | | | १४१५९ - अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी | ५,००,००० | २,००,००० | ४० | |
| | | | १४२४२ - नक्सापास दस्तुर | १,००,००० | ० | ० | |
| | | | १४२४३ - सिफारिश दस्तुर | १२,००,००० | २,०८,२१० | १७.३५ | |
| | | | १४२४४ - व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | ३,५०,००० | ६५००० | ३२.५ | |
| | | | १४२४५ - नाता प्रमाणित दस्तुर | २,००,००० | ३५००० | १७.५ | |
| | | | १४२४९ - अन्य दस्तुर | १०,००,००० | ३,९८,६४३ | ३९.८६ | |
| | | | १४३११ - न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत | ५०००० | ० | ० | |
| | | | १४६११ - व्यवसाय कर | ५,००,००० | २,०२,३२५ | ४०.४६ | |
| २४ | | | विविध खर्च: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले बैठक तथा अन्य क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ विविध खर्च लेखदा उपस्थिति सँख्या, कार्यक्रमको पुष्ट्याई लगायतका विवरण तथा बैठक तथा कार्यक्रम सँचालनको लागि लागत अनुमान तयार गरी खर्च लेखुपर्दछ । पालिकाले विविध बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालनार्थ खर्च भएको उल्लेख गरी खर्चको पुष्ट्याई बेगर केवल बिल भरपाई मात्र संलग्न | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------|-------------|--------|-----------|--------------|-------------|-------|---------|---------|---------|--------------|--------|----------|----------|---------|-------|---------|---------|-----|--------|---------|---------|--------|-------|-----------|--------------|-------------|--|
| | | | गरी विविध शीर्षकबाट खाजाखाना बापतको रु ३६४४००० खर्च लेखेको छ । यसरी खर्च लेखेबाट बास्तबिक रूपमा खर्च भएको हो होइन यकिन गर्ने आधार देखिदैन । पालिकाले यस प्रकारका खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २५ | | | <p>खर्च नभएको संघ प्रदेशको अनुदान फिर्ता</p> <p>अनुदान फिर्ता – संघीय एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्यविधि बमोजिम ती निकायबाट स्थानीय तहमा प्राप्त हुने समपुरक बाहेकका अनुदान वर्षभरी खर्च नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्राप्त विवरण (सुत्रको अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७९ असार मसान्तमा देहाय बमोजिमको अनुदान खर्च नभई बाँकी रहेकोमा फिर्ता गरेको छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>अनुदान प्रदान गर्ने निकाय</th> <th>अनुदानको प्रकार</th> <th>प्राप्त रकम</th> <th>खर्च रकम</th> <th>फिर्ता रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">संघीय सरकार</td> <td>शासर्त</td> <td>२२६८७३३००</td> <td>१८९५५४००४.१०</td> <td>३७३१९२०५.९०</td> </tr> <tr> <td>विपेश</td> <td>९१८२८३४</td> <td>४३७५४६९</td> <td>४८०७३६५</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">प्रदेश सरकार</td> <td>शासर्त</td> <td>१२०३६०००</td> <td>१०८९०१५८</td> <td>११४५८४२</td> </tr> <tr> <td>विपेश</td> <td>१०६७६६३</td> <td>१०६६८२२</td> <td>८४१</td> </tr> <tr> <td>समपुरक</td> <td>३३३१६५०</td> <td>२५१२९३०</td> <td>८१८७२०</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td>२५२४९१४४७</td> <td>२०८३९९३८३.१०</td> <td>४४०९२०६३.९०</td> </tr> </tbody> </table> | अनुदान प्रदान गर्ने निकाय | अनुदानको प्रकार | प्राप्त रकम | खर्च रकम | फिर्ता रकम | संघीय सरकार | शासर्त | २२६८७३३०० | १८९५५४००४.१० | ३७३१९२०५.९० | विपेश | ९१८२८३४ | ४३७५४६९ | ४८०७३६५ | प्रदेश सरकार | शासर्त | १२०३६००० | १०८९०१५८ | ११४५८४२ | विपेश | १०६७६६३ | १०६६८२२ | ८४१ | समपुरक | ३३३१६५० | २५१२९३० | ८१८७२० | जम्मा | २५२४९१४४७ | २०८३९९३८३.१० | ४४०९२०६३.९० | |
| अनुदान प्रदान गर्ने निकाय | अनुदानको प्रकार | प्राप्त रकम | खर्च रकम | फिर्ता रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| संघीय सरकार | शासर्त | २२६८७३३०० | १८९५५४००४.१० | ३७३१९२०५.९० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | विपेश | ९१८२८३४ | ४३७५४६९ | ४८०७३६५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प्रदेश सरकार | शासर्त | १२०३६००० | १०८९०१५८ | ११४५८४२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | विपेश | १०६७६६३ | १०६६८२२ | ८४१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | समपुरक | ३३३१६५० | २५१२९३० | ८१८७२० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | २५२४९१४४७ | २०८३९९३८३.१० | ४४०९२०६३.९० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६ | | | सामाजिक सुरक्षा तर्फ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६.१ | | | यस आ.व. मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तर्फ रु. ११ करोड ६४ लाख ५५ हजार ७९९ निकासा भएकोमा रु. ११ करोड ५८ लाख ४४ हजार ३९० वितरण भई बाँकी रु. ६ लाख ११ हजार ४०९ फिर्ता भएको छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोराहरु निम्न छन् : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६.२ | ६४ | २०७९-३-३२ | <p>बढी भुक्तानी: वडा नं. ७ को निम्नानुसार लाभग्राहीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेकोमा लगत कट्टा भैसकेको मिति पछि पनि भुक्तानी भएको देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>लाभग्राहीको नाम</th> <th>लगत कट्टा भएको मिति</th> <th>बढी भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>हरकिसे साउद १९९९६-१२-३०</td> <td>२०७८।११।१५</td> <td>२०००</td> </tr> </tbody> </table> | लाभग्राहीको नाम | लगत कट्टा भएको मिति | बढी भुक्तानी रकम | हरकिसे साउद १९९९६-१२-३० | २०७८।११।१५ | २००० | ५,६०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| लाभग्राहीको नाम | लगत कट्टा भएको मिति | बढी भुक्तानी रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| हरकिसे साउद १९९९६-१२-३० | २०७८।११।१५ | २००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | |
|------|------------|-----------|---|------------|------|--------|
| | | | गंगा कामी २००६-१२-३० | २०७८।११।१५ | ३६०० | |
| २६.३ | | | सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण बैकिङ प्रणाली मार्फत गर्नु पर्दछ । पालिकाले यो वर्ष आंशिक वडाको मात्र बैकिङ प्रणाली मार्फत गरेको देखियो । पालिकाले ७ वडा मध्ये वडा नं. २,५,७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता पूरै नगद वितरण गरेको छ । अन्य वडाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता भने बैकिङ प्रणाली मार्फत वितरण गरेको छ । अतः कार्यालयले सबै वडाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैकिङ प्रणाली मार्फत गरिनु पर्दछ । | | | |
| २७ | | | उपभोक्ताबाट निर्माण | | | |
| २७.१ | | | वडा कार्यालय सडक जाली निर्माण उ.स. : उक्त सडक जाली निर्माण गर्न ल.ई. रु.५३२४९५।०० मा उपभोक्ता समितिसंग संझौता भएकोमा रु.५२५४०९।००को कार्य सम्पन्न भएको छ । कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार २*१*१ साइजको ६ वटा ग्यावेयन बक्सको रु.२६५७९।०० खर्च उल्लेख छ । उपभोक्ता समितिले पेश गरेको लव ट्रेडर्स सप्लायर्स दिपायल (302762756)को २०७८।१२।१७ को ७८० नं. बिल अनुसार रु.१०५००।०० मा ३ थान ग्यावियन जाली खरिद गरेको देखिन्छ । अतः उपभोक्ता समितिले ३ थान मात्र खरिद गरेकोमा सम्पन्न प्रतिवेदनमा ६ थानको भुक्तानी दिएकोले बढी भुक्तानी रु.१६०७९ सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल हुनुपर्ने रु. | | | १६,०७९ |
| २७.२ | | | छड खरिद- उपभोक्ता समितिले १७.५२ घ.मि सडक आरसीसी(१:२:४)ढलान कार्य गर्न बड्डा सप्लायर्स दिपायलबाट(300948790)विजक नं.७६८ मिति २०७९।२।१६ बाट १० एम. एमको छड ८८३.४० के.जी र १० के.जी. व्यान्डीङ्ग तार खरिद गरेको र सोहि फर्मबाट विजक नं.८४३ मिति २०७९।२।३ मा १२२ के.जी. छड खरिद गरी जम्मा १००५.४० के.जी छड र १० के.जी व्यान्डीङ्ग तारको भ्याट समेत रु.१३८६५८।०० खर्च भएको देखिन्छ । पालिकाले तयार गरेको नापजाँच र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार १०८९.३९ के.जी छड खर्च भइ रु.१५९.९२ को दरले रु. १६५५०३।०० मूल्यांकन गरेको देखिन्छ । प्राविधक मूल्याकन भन्दा उपभोक्ताले ७३.९९ के.जी छड घटी खरिद गरेको देखिन्छ । यसबाट निर्माण कार्य स्वीकृत ल.ई.र नम्स अनुसार गुणस्तरीय छ भनि विश्वस्त हुन सकिएन । उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिँदा छड खर्च भएको बिल भरपाईमा उल्लेखित परीमाणको आधारमा दिनुपर्नेमा सो अनुसार नहेरी प्राविधक मूल्याकन अनुसार दिएको देखिन्छ । उपभोक्ता समितिको बिल भरपाई अनुसार ७३.९९ के.जी. छड घटी खरिद गरेकोमा पूरै भुक्तानी दिएकोले रु.११२४१।०० बढी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल हुनुपर्ने । | | | ११,२४१ |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|--|------------|
| २७.३ | | | <p>सिमेन्ट दररेट - पालिकाले लागत अनुमान तयार गर्दा धनगढीको जिल्ला दररेटलाई आधार लिई डोटी सम्म तथा निर्माण स्थलसम्म ढुवानी र भ्याट जोडी दररेट विश्लेषण र लागत अनुमान तयार गरेको छ । सो अनुसार प्रति बोरा सिमेन्टको दररेट रु. १०८५ निर्धारण गरेको छ । उपभोक्ता समितिले १७.५२ घ.मि सडक आरसीसी (१:२:४) ढलान कार्य गर्न बड्डा सप्लायर्स दिपायलबाट(300948790)बिजक नं.७६८ मिति २०७९।२।१६ बाट ८० बोरा सिमेन्ट सोही फर्मको बिजक नं.८४३/२०७९।२।३ बाट २५ बोरा र बिजक नं.८२४/२०९७।२।२४ बाट १० बोरा गरी ११५ बोरा सिमेन्ट भ्याट समेत प्रति बोरा ७८१.५२ को दरले रु.८९८७५।००मा स्थानीय बजारबाटै खरिद गरेको देखिन्छ । उपभोक्ताको खरिद मूल्य भन्दा लागत अनुमान प्रति बोरा सिमेन्टमा रु.३०३.४७ को दरले बढी देखिन्छ । यसबाट उपभोक्ताले खरिद गरेको ११५ बोरा सिमेन्टको लागत अनुमान अनुसार रु.३४९००।०० बढी व्ययभार पारेको देखिन्छ । बढी व्ययभार पारेको नियम सम्मत नदेखिएको रु.</p> | ३४,९०० |
| २७.४ | | | <p>छारेखेत तटवन्ध निर्माण योजना : उक्त तटवन्ध निर्माण गर्न उपभोक्ता समितिसंग ल.ई. रु. २१२३०७।०० मा संझौता भएकोमा उपभोक्ता समितिले रु.१९२८७४।०० को कार्य सम्पन्न गरेको छ । जनश्रमदान कट्टी गरी उपभोक्ता समितिलाई रु.१७२५५७।०० भुक्तानी गरेको छ । उपभोक्ता समितिले दिव्य ज्योती सप्लायर्स दिपायल(302537251)को बिजक नं.३७४ मिति २०७९।२।१२बाट १४ थान जाली भ्याट र ढुवानी समेत रु.७७२००।०० मा खरिद गरेको बिल भुक्तानीको लागि पेश गरेको देखिन्छ । पालिकाले नापजाँच तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनमा २१ थान ग्यावियन जाली रु.८६१५९।०० को उल्लेख गरी भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उपभोक्ता समितिले पेश गरेको बिल रकम भन्दा ७ थान ग्यावियन जाली को रु.८९५९।०० बढी मूल्यांकन गरी भुक्तानी गरेकोले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल हुनुपर्ने रु.</p> | ८,९५९ |
| २८ | | | <p>कार्य सम्पन्न नभएको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा प्राविधिक मुल्यांकन गरी नियम १२५(१) वमोजिम प्राविधिक नापजाँच र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले चौखुटे काडामा ८ वटा सडक स्तरोन्तिको कार्य गर्न कवोल अंक रु.२८७६०८८।०० मा अमर कनस्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सलाई २०७९।३।३० मा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०७९।१।१५ मा संझौता गरेको देखिन्छ । तोकिएको अवधिमा दोश्रो रनिङ्ग बिल सम्म रु.२५३९२६८।०० को मात्र कार्य सम्पन्न गरेको देखिन्छ । ड्रेन लगायतका रु.३३६८२०।०० को निर्माण कार्य सम्पन्न नभएकोले नियमावलीको व्यवस्थानुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने रु.</p> | ३३६,८२० |
| २९ | | | <p>कर बिजक</p> | ५४४,६११ |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरजु रकम |
|------|------------|-----------|--|-----------|
| | | | रितपूर्वकको कर बिजक-मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्मसँग तोकीएको ढाँचाको कर बीजक लिई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गाउँपालिकाले रित पूर्वकको कर बीजक बेगर रान्दुङ्गा पर्यटकीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको धुलिखेल एल वि एण्ड एवि जे.भि निर्माण व्यसायीबाट मु.अ.कर रु.५४४६११ समेत रु.४७३३९२९।०० निर्माण कार्डको प्रथम रनिङ्ग बिल भुक्तानी गरेको छ । तसर्थ उक्त निर्माण व्यवसायिले रितपूर्वकको कर बिजक वेगर फोटोकपी बिल पेश गरी पालिकाबाट भुक्तानी लिएको मू.अ.कर समायोजन गरेको प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु.५४४६११।०० | |
| ३० | ४ | २०७९-३-२४ | श्रमदानको अंश घटी कट्टा गरी बढी भुक्तानी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम ६ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले आफुले प्रत्येक किस्ता को कामको प्राविधिक मूल्याङ्कन, विलभर्पाई र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात र निर्माण कार्यको नापीको आधारमा विल तयार गरी उपभोक्ताको योगदानको अंश कटाई भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले वडा नं. ५को सनकट्याल मष्टाबण्डालीको पर्खाल निर्माण कार्यको प्राविधिक मूल्यांकन रु. 512004.91 मा जनश्रमदान रु. 52299.19 कट्टी गरी रु. 459705.73 भुक्तानी गर्नुपर्नेमा रु. 482690.00 भुक्तानी गरेकोले बढी भुक्तानी गरेको रु. 22984.27 असुल गर्नु पर्ने रु | २२,९८४.२७ |
| ३१ | | | उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य | |
| ३१.१ | | | पालतडा खेत तटबन्ध निर्माण- उक्त तटबन्ध निर्माण गर्न उपभोक्ता समितिसंग ल.ई. रु.१५९७०३।०० मा मिति २०७८।१०।१० मा संझौता भएकोमा रु.१४८४५५।४५ को कार्य सम्पन्न भएको छ । नापजाच र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार ११ वटा ग्यावियन बक्समा २८ घ.मि.ढुंगा भरेको ज्याला रु.९१०० र ढुंगा खरिदको रु.६६६०० गरी रु.७५७०८।९४ रकम उल्लेख गरेकोमा उपभोक्ता समितिले पेश गरेको बिल भरपाई अनुसार २८ घ.मि.ढुंगा खरिद गरेको देखिएन । पालिकाले ११ थान ग्यावियन जालिको लागत अनुमान तयार गर्दा कैलाली जिल्लाको धनगढीको रु.६०००२।४५ दररेट उल्लेख गरेको छ । उपभोक्ता समितिले दिपायलबाट ढुवानी समेत रु.५०३०५।०० मा खरिद गरेको बिल पेश गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्तालाई भुक्तानी दिँदा खर्च भएको बिल भरपाईको आधारमा खर्च लेख्नु पर्नेमा प्राविधिक मूल्यांकनको आधारमा खर्च लेखेकोले कामको गुणस्तर र स्वीकृत ल.ई. अनुसार भएको छ भनि विश्वस्त हुन सकिएन । गाँउपालिकालाई बढी व्ययभार पारेको रु.७६२९७।४५ को सम्बन्धमा छानविन गरि एकिन गर्नुपर्दछ । | ७६,२९७.४५ |
| ३१.२ | | | तल्लो गडखोला सिंचाइ कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति : सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम ६ अनुसार उपभोक्ता समितिले कामको प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार निर्माण सामाग्रीको बिल भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने कागजात समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त योजना निर्माण गर्न उपभोक्ता समितिसंग २०७८।११।२९ मा ल.ई | २७,७१८ |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---|------------|
| | | | <p>रु.२६२७५३।०० मा संझौता भएकोमा उपभोक्ता समितिले रु.२७११३०।०० को कार्य सम्पन्न गरेको छ । नापजाँच तथा मूल्याकन अनुसार पिसिसि स्टोन मेसोनरी र पलास्टरको कार्य गर्न सिमेन्ट ३.०२१७ मे.टन.(६०.४३ बोरा) प्रति मे.टन २४५९५।१७ का दरले रु.७४३१९।०० खर्च भएको देखिन्छ । उपभोक्ता समितिले बि.एन.ट्रेड्स एण्ड सप्लायर्स दिपायल(६०१३०५५१३)को बिजक नं.१८४२ र बड्डा सप्लायर्स दिपायल(३००९४८७९०)को बिजक नं.२४५ बाट ढुवानी समेत ५२ बोराको रु.४६६०१।०० मा खरिद गरेको बिल पेश गरेको छ । उपभोक्ता समितिले पेश गरेको सिमेन्ट खरिदको बिल प्राविधिक मूल्याकन भन्दा ८.४३ बोराको रु.२७७१८।०० को घटी खरिद गरेको देखिन्छ । यसबाट निर्माण कार्य स्वीकृत ल.ई. र नम्स अनुसार गुणस्तरीय भएको छ भनि एकिन हुन सकिएन । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमानुसार उपभोक्ता समितिलाई मूल्य अभिवृद्धि लाग्ने सामग्रीको भुक्तानी दिँदा खर्च भएको परीमाण र रकम मितव्ययिताको आधारमा दिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिँदा ८ बोराको रु.२७७१८।०० रकम कट्टी गरेको देखिएन । अतः उपभोक्तालाई भुक्तानी दिँदा सामग्रीमा खर्च भएको आधारमा दिनु पर्नेमा सो अनुसार नहेरी खर्च लेखेको देखिन्छ । कामको गुणस्तर सम्बन्धमा पालिकाले एकिन गर्नुपर्ने रु.</p> | |
| ३१.३ | | | <p>बड्डो कुलो सिंचाइ स्याउले पालतडा- उक्त सिंचाइ कुलो निर्माण गर्न ल.ई. रु.३१८३०१ मा २०७८।१०।१५ मा संझौता भएकोमा उपभोक्ता समितिले रु.३१५६६६।००को कार्य सम्पन्न गरेको छ । नापजाच तथा कार्य र्सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार ८ एम.एम.को स्टिल रिइन्फोर्समेन्ट रु.८८४४८।००को ५५१.२१ के.जी. मूल्याकन गरी भुक्तानी गरेको छ । उपभोक्ता समितिले बड्डा सप्लायर्स दिपायलको(३००९४८७९०) बिजक नं.४२४ बाट र नमादेव ट्रेड्स एण्ड सप्लायर्सको(६१४७२६०७९) बिजक नं.१३० बाट गरी प्रति के.जी.१६०.४६ कादरले ४०१.५ के.जी खरिद गरेको बिल भरपाई पेश गरेको देखिन्छ । अतः प्रति के.जी १६०.४६ कोदरले १४९.७१ के.जीको रु.२४०२२।०० सम्बन्धित उपभोक्ताबाट असुल हुनु पर्ने रु.</p> | २४,०२२ |
| ३१.४ | | | <p>नवादेव सिंचाइ पोखरि निर्माण – उक्त सिंचाइ पोखरी निर्माण गर्न ल.ई.२६६४६८ मा २०७८।१०।१० मा उपभोक्ता समितिसंग संझौता भएकोमा रु.२५६५७० को कार्य सम्पन्न गरेको छ । कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार स्टोन मेसोनरीको १४.२६ घ.मि पिसिसि (१:३:६), २.८८ घ.मि. १२.५ मिलि मिटर बाक्लो पलाष्टर , ४६.०८ ब.मि र ३ मिलि मिटर बाक्लो पुनिङ्ग कार्य २८.८० ब.मि गर्दा ५० बोरा सिमेन्ट खर्च भएको देखिन्छ । दररेट विश्लेषण अनुसार प्रति बोरा सिमेन्टको मूल्य भ्याट र ढुवानी समेत रु.११९२.७५ उल्लेख गरेको छ । उक्त दररेट अनुसार उपभोक्ता समितिलाई ५० बोरा सिमेन्टको मूल्य रु. ५९३८१।०० खर्च लेखेकोमा उपभोक्ता समितिले बड्डा सप्लायर्स दिपायल(३००९४८७९०)को बिजक नं. ५४८ बाट मिति २०७८।१२।१३ मा ५० बोरा सिमेन्ट भ्याट समेत रु.४२३७५।०० मा खरिद गरेको बिल बिजक पेश गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार</p> | १७,००६ |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | | | | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------------|---|--|-----------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|------------|---------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|---|------------|----|----------------------|------------------|------------|-------|---|--------|---|------------|----|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------|---|-------|---|------------|----|-------------------------|----------------|-----------------|-------|---|--------|---|------------|-----|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------|---|--------|---|------------|-----|------------------------------------|------------------|------------|-------|---|--------|------------|
| | | | उपभोक्ता समितिले पेश गरेको बिल रकम अनुसार भुक्तानी दिनुपर्नेमा प्राविधिक मूल्याकन अनुसार दिएकोले रु.१७००६ । बढी व्ययभार पारेको सम्बन्धमा पालिकाबाट एकिन गर्नुपर्ने रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३२ | | | <p>पेशकी बांकी</p> <p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्ती यउत्तरदायित्व नियमावली,२०६४ को परिच्छेद ५ नियम ४७, ४८, ४९ र ५० बमोजिम कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम विभिन्न कार्य प्रयोजनको लागि विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीलाई दिएका पेशकी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मवा सम्झौता बमोजिमफर्स्यौट गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । नियम ५१ मा तोकिएको म्याद भित्र पेशकी फर्स्यौटको लागि आवश्यक कागजात पेश नगरेमा त्यस्तो पेशकी रकम म्याद नाघेको मितिले वार्षिक दश प्रतिशतको दरले ब्याज समेत असुल गर्ने व्यवस्था छ । पालिकाबाट विभिन्न प्रयोजनको लागि व्यक्ति तथा संस्थालाई रु.१८५८५७३१।-पेशकी दिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा फर्स्यौट नभई बांकी रहेका देहायका पेशकी नियमानुसार असूलफर्स्यौट गर्नुपर्नेरु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>पेशकी लिएको मिति</th> <th>गो. भौ. न.</th> <th>पेशकीको विवरण</th> <th>पेशकी लिने ब्यक्ती, फर्म वा कम्पनीको नाम</th> <th>कर्मचारी भए पद</th> <th>खर्च उपशिर्षक</th> <th>म्याद ननाघेको</th> <th>म्याद नाघेको</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>०६/२२/२०७८</td> <td>५०</td> <td>पदाधिकारीअन्य सुविधा</td> <td>भिम बहादुर बोगटी</td> <td>सहायक चौथौ</td> <td>२११४२</td> <td>०</td> <td>५०००००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>०८/०१/२०७८</td> <td>८५</td> <td>मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री</td> <td>डम्मर बहादूर खड्का</td> <td>कार्यालय सहयोगी</td> <td>२२३११</td> <td>०</td> <td>50000</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>०८/०६/२०७८</td> <td>१६</td> <td>ईपिडेमियोलोजी रिपोर्टिङ</td> <td>शंकर सिं साउँद</td> <td>प्राविधिक सहायक</td> <td>२२७११</td> <td>०</td> <td>१०००००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>०८/०६/२०७८</td> <td>११२</td> <td>पशु - प्रत्येक वडामा रु १ लाखका दरले</td> <td>शंकर सिं साउँद</td> <td>प्राविधिक सहायक</td> <td>२७२१३</td> <td>०</td> <td>२०००००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>१०/०८/२०७८</td> <td>३०७</td> <td>उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च</td> <td>भिम बहादुर बोगटी</td> <td>सहायक चौथौ</td> <td>२७२१२</td> <td>०</td> <td>३४००००</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | सि.नं. | पेशकी लिएको मिति | गो. भौ. न. | पेशकीको विवरण | पेशकी लिने ब्यक्ती, फर्म वा कम्पनीको नाम | कर्मचारी भए पद | खर्च उपशिर्षक | म्याद ननाघेको | म्याद नाघेको | १ | ०६/२२/२०७८ | ५० | पदाधिकारीअन्य सुविधा | भिम बहादुर बोगटी | सहायक चौथौ | २११४२ | ० | ५००००० | २ | ०८/०१/२०७८ | ८५ | मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री | डम्मर बहादूर खड्का | कार्यालय सहयोगी | २२३११ | ० | 50000 | ३ | ०८/०६/२०७८ | १६ | ईपिडेमियोलोजी रिपोर्टिङ | शंकर सिं साउँद | प्राविधिक सहायक | २२७११ | ० | १००००० | ४ | ०८/०६/२०७८ | ११२ | पशु - प्रत्येक वडामा रु १ लाखका दरले | शंकर सिं साउँद | प्राविधिक सहायक | २७२१३ | ० | २००००० | ५ | १०/०८/२०७८ | ३०७ | उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च | भिम बहादुर बोगटी | सहायक चौथौ | २७२१२ | ० | ३४०००० | १२,४७७,८९७ |
| सि.नं. | पेशकी लिएको मिति | गो. भौ. न. | पेशकीको विवरण | पेशकी लिने ब्यक्ती, फर्म वा कम्पनीको नाम | कर्मचारी भए पद | खर्च उपशिर्षक | म्याद ननाघेको | म्याद नाघेको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | ०६/२२/२०७८ | ५० | पदाधिकारीअन्य सुविधा | भिम बहादुर बोगटी | सहायक चौथौ | २११४२ | ० | ५००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | ०८/०१/२०७८ | ८५ | मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री | डम्मर बहादूर खड्का | कार्यालय सहयोगी | २२३११ | ० | 50000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | ०८/०६/२०७८ | १६ | ईपिडेमियोलोजी रिपोर्टिङ | शंकर सिं साउँद | प्राविधिक सहायक | २२७११ | ० | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | ०८/०६/२०७८ | ११२ | पशु - प्रत्येक वडामा रु १ लाखका दरले | शंकर सिं साउँद | प्राविधिक सहायक | २७२१३ | ० | २००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | १०/०८/२०७८ | ३०७ | उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च | भिम बहादुर बोगटी | सहायक चौथौ | २७२१२ | ० | ३४०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | | | | | बेरुजु रकम | |
|------|------------|-----------|------|------------|-----|--|-------------------------------|----------------------------|-------|------------|---------|
| | | | ६ | १२/०९/२०७८ | ४४० | न्यायिक समिती सम्बन्धी कार्यक्रम | कल्पना कुमारी थापा | सहायक महिला बिकास निरीक्षक | २२५२२ | ० | २००००० |
| | | | ७ | ०३/२३/२०७९ | १९५ | कोभिड-१९ | हरिओम श्रेष्ठ | सहायक पाँचौ | २७२१२ | ० | १०००००० |
| | | | ८ | ०३/२३/२०७९ | १९५ | कोभिड-१९ | कुमर सिं रवत | कार्यालय सहायक | २७२१२ | ० | १०००००० |
| | | | ९ | ०३/२३/२०७९ | १९५ | कोभिड-१९ | कुमार सिं ओली | कार्यालय सहायक | २७२१२ | ० | १०००००० |
| | | | १० | ०३/२३/२०७९ | १९५ | कोभिड-१९ | प्रकाश बहादुर बोगटी | वरिष्ठ सहायक | २७२१२ | ० | १०००००० |
| | | | ११ | ०३/२३/२०७९ | १९५ | कोभिड-१९ | भिम बहादुर बोगटी | सहायक चौथौ | २७२१२ | ० | १०००००० |
| | | | १२ | ०३/२३/२०७९ | १९५ | कोभिड-१९ म | विर बहादुर खड्का | सहायक लेखापाल | २७२१२ | ० | २०००००० |
| | | | १ | ०७/२८/२०७८ | ४ | गाउपालिकाको प्रशासकिय भवन निर्माण | प्रतिष्ठा दुनिला जे भि | | ३११५९ | ५१२५००० | ० |
| | | | ४ | ०६/२२/२०७८ | ३ | रानढुङ्गा पर्यटकीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम | धुलिखेल । एल.वि.,ए.वि. जे.भी. | | ३११५९ | ० | 2512137 |
| | | | ५ | ०८/१४/२०७८ | ५ | सरस्वती मा.वि. छात्रावास निर्माण सानागाउँ | न्यू कालिका निर्माण सेवा | | ३११११ | ९८२८३४ | ० |
| | | | ६ | ११/२९/२०७८ | ३४० | पूर्विचौकी गाउपालिकाको | पूर्विचौकी संचार समुह | | २२४१२ | ० | 750000 |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | | | | | बेरुजु रकम | |
|------|------------|-----------|--|-----|-----------------------------------|--|--|--|-------|------------|----------|
| | | | | | | सामुदायिक एफ एम सञ्चालनका लागि पुर्विचौकी संचार समुहलाई रु १५ लाख अनुदान | | | | | |
| | | | २०७९।३।२ | १७५ | जमौला गजडा बगडा पोखरि सडक निर्माण | जगन्नाथ कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स | | | ० | | 325760 |
| | | | १०/०५/२०७८ | २१ | मालिका मन्दिरको भरण घर निर्माण | मालिका मन्दिर भरण घर निर्माण | | | ३१११२ | ० | 100000 |
| | | | १०/०८/२०७८ | २६ | मालिका आ वि मर्मत | मालिका आ वि मर्मत | | | ३११६१ | ० | 80000 |
| | | | ०८/०६/२०७८ | ११६ | सवारी साधन मर्मत खर्च | खेम राज जोशी | | | २२२१३ | ० | 140000 |
| | | | ०८/२१/२०७८ | १५९ | पुर्ण सरसफाई कार्यक्रम | हरि बहादुर विष्ट | | | २२५२२ | ० | 180000 |
| | | | कुल जम्मा | | | | | | | ६१०७८३४ | १२४७७८९७ |
| ३३ | | | रसिद नियन्त्रण खाता: कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रयोग भईरहेका नगदी रसिद प्याडको विवरण, गत आर्थिक वर्ष को अ. ल्या. गरेको विवरण, रद्ध भएको प्याड तथा रसिदको विवरण, जम्मा प्याड छुपाई तथा त्यसको सिरियल नं., वडा तथा पालिकामा बुझेको नगदी रसिदको विवरण, बाँकी रहेको रसिदहरू स्पष्ट देखिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा रसिद नियन्त्रण खाता प्रभावकारी रहेको पाइएन। | | | | | | | | |
| ३४ | | | दाखिला गर्नुपर्ने: | | | | | | | | |
| | | | ३,८४७ | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|-----------|--|---|--|-----------|------------|-------------|--------|---|-----------------------|--------|--------|---|--|---|-----------------------|--------|--------|--|--|
| | | | स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७३ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता मितव्ययिता कार्यदक्षता प्रभावकारीता र औचित्यता समेत कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाबाट २ वटा नगर बस १ एम्बुलेन्स संचालनमा रहेको अवस्था छ। यसरी संचालित नगर बस तथा एम्बुलेन्सले कति सेवा ग्राहीलाई सेवा दिइएको थियो । कति घण्टा चलाइएको थियो सो सम्बन्धि तथ्याङ्क अध्यावधिक छैन। पालिकाले दिएको विवरणअनुसार सेवा संचालनमा भएको आम्दानी र खर्चको यथार्थता परीक्षण गर्न सकिने स्थिति छैन। पालिकाबाट संचालित २ वटा गाडीमध्ये गाडी नं ७६६३ बाट प्राप्त भएको आम्दानी राजस्व खातामा दाखिला नदेखीएकोले दाखिला भौचर पेश गर्नुपर्ने रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३५ | | | <p>राजस्व दाखिला ढिला भएको:</p> <p>आर्थिक कार्यबिधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ५८(४) बमोजिम प्राप्त हुने रकम दैनिक रुपमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस पालिका अन्तर्गतका २ वटा वडाहरुको परीक्षण गर्दा दुवै वडाहरुले समयमा दाखिला नगरी एक आर्थिक वर्षमा ३ देखि ५ पटकमात्र दाखिला गर्ने गरेको पाईयो । भौगोलिक विकटताका कारण दैनिक दाखिला सम्भव नभएतापनि सक्दो छिटो समयमै दाखिला गर्नेतर्फ पालिका तथा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्दछ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वडा नं।</th> <th>महिना</th> <th>संकलन रकम</th> <th>दाखिला रकम</th> <th>दाखिला मिति</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>श्रावण देखि आषाढ सम्म</td> <td>१५९८९३</td> <td>१५९८९३</td> <td>२०७८।०६।१२ २०७८।०९।०४ २०७८।१२।२८ २०७९।०२।१४ २०७९।०३।२७,३०</td> <td rowspan="2">संकलित रकम ढिला दाखिला गरेको देखिएको ।</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>श्रावण देखि आषाढ सम्म</td> <td>१५३८३६</td> <td>१५३८३६</td> <td>२०७८।०८।३० २०७९।०३।२३ २०७९।०४।०५</td> </tr> </tbody> </table> | वडा नं। | महिना | संकलन रकम | दाखिला रकम | दाखिला मिति | कैफियत | १ | श्रावण देखि आषाढ सम्म | १५९८९३ | १५९८९३ | २०७८।०६।१२ २०७८।०९।०४ २०७८।१२।२८ २०७९।०२।१४ २०७९।०३।२७,३० | संकलित रकम ढिला दाखिला गरेको देखिएको । | ५ | श्रावण देखि आषाढ सम्म | १५३८३६ | १५३८३६ | २०७८।०८।३० २०७९।०३।२३ २०७९।०४।०५ | |
| वडा नं। | महिना | संकलन रकम | दाखिला रकम | दाखिला मिति | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | श्रावण देखि आषाढ सम्म | १५९८९३ | १५९८९३ | २०७८।०६।१२ २०७८।०९।०४ २०७८।१२।२८ २०७९।०२।१४ २०७९।०३।२७,३० | संकलित रकम ढिला दाखिला गरेको देखिएको । | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | श्रावण देखि आषाढ सम्म | १५३८३६ | १५३८३६ | २०७८।०८।३० २०७९।०३।२३ २०७९।०४।०५ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३६ | | | राजस्व रकम समयमा दाखिला नभएको: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---|------------|
| | | | सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६ मा प्रचलित कानून बमोजिम सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व रकम कार्यालयमा प्राप्त भएपछि सरकारी कारोवार गर्ने बैंकमा सोही दिन वा कावु बाहिरको परिस्थिति परी सोही दिन दाखिला हुन नसकेमा कारण उल्लेख गरी सोको सातदिनभित्र संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाका ७ वडाबाट प्राप्त हुने भूमिकर, नक्सापास दस्तुर, सिफारिस दस्तुर, नाता प्रमाणित दस्तुर लगाएतका शिर्षकबाट संकलित रु ७ लाख ५४ हजार ९ सय ९८ रकम समयमा दाखिला नगरी संकलन भएको लामो समय पश्चात मात्र दाखिला भएको पाइयो। संकलित रकम समयमा दाखिला नहुँदा आमदानीको समयमा प्रतिवेदन दिने तथा दुरुपयोग समेत हुन सक्ने भएकोले पालिकाले संकलित रकमलाई समयमै दाखिला गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ। | |
| ३७ | | | असुल गर्नुपर्ने: खर्चको मापदण्ड, २०७७ अनुसार तालिम केन्द्रबाहेकबाट संचालित तालिम कार्यक्रम गाउँपालिकास्तरीय भएमा प्रशिक्षकलाई ७ कार्यदिनसम्मको लागि रु.१५०० को दरमा भत्ता दिन सकिने व्यवहारा उल्लेख छ। भौ।नं।५५४।२०७९।३।१३ बाट विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा बालविकास शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि EGRP सम्बन्धि ५ दिने शैक्षिक सामग्री निर्माण तालिम प्रशिक्षण कार्य गरेवापत प्रशिक्षकलाई रु. ४८,००० भुक्तानि गरेको छ। खर्चको मापदण्ड अनुसार ५ दिनको तालिम कार्यक्रममा १ दिनमा ४ सेसनको दरले जम्मा २० सेसन प्रशिक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर पालिकाले प्रशिक्षक (उमेश विश्वकर्मा) लाई जम्मा २० सेसनको कर कट्टि गरी रु. २५,५०० भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ३२ सेसनको रु ४०,८०० भुक्तानी गरेको देखिन्छ। यसप्रकार बढी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धितबाट असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु. | १५,३०० |
| ३८ | | | प्रमाण पेश गर्नुपर्ने: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ को उपनियम ५ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बिल, भर्पाइ, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था छ। भौ।नं। ४२१ मिति २०७८।१२।०८ बाट पालिकाले वडा अध्यक्षसँग शिक्षा कार्यक्रमका लागि ५०० थान Writing tablet (Smart / kharipati) रु. ८७० को दरमा खरिद गरी रु ४,९४,३७५ Smart tech Pvt.ltd लाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ। तर पालिकाले उक्त सामग्रीहरू विद्यार्थिहरूलाई वितरण गर्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिएकोले वितरण भर्पाइ प्रमाणको रूपमा पेश गर्नुपर्ने रु. | ४९४,३७५ |
| ३९ | | | अनुत्पादक एवं वितरणमुखी खर्च: सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गर्दा अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी खर्च गर्नुपर्नेमा यस पालिकाले देहाय बमोजिमका अनुत्पादक तथा वितरणमुखी प्रयोजनमा खर्च गरेको देखिन्छ। यस्तो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्दछ। केही उदाहरणहरू: | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | बेरुजु रकम | |
|------|------------|-----------|--|-------------------------------|------------------------------|------------|---------|
| | | | सि।नं। | भुक्तानी पाउने संस्थाको नाम | प्रयोजन | रकम | |
| | | | १ | डोटी महोत्सव | महोत्सव खर्च | ५०,००० | |
| | | | २ | पूर्वीचौकी युवा क्लब | संस्कृति जगेर्ना तथा संरक्षण | २००,००० | |
| | | | ३ | पूर्वीचौकी युवा क्लब | क्लबको व्यवस्थापन खर्च | ९९,८५० | |
| | | | ४ | महिला नारी दिवस तिज कार्यक्रम | तिज कार्यक्रम | ५०,००० | |
| | | | ५ | सिर्जनशिल विकास समाज नेपाल | व्यवस्थापन खर्च | २,९९,९९९ | |
| | | | ६ | ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय | सहयोग | १००००० | |
| | | | जम्मा | | | ७९९८४९ | |
| ४० | | | नियमसंगत नदेखिएको: अर्थमन्त्रालयको कार्यसंचालन निर्देशिका २०७५ को ७।१।४ मा कर्मचारीहरूलाई बिदाको दिनमा काम गरेबापत वा कार्यालय समय भन्दा बढी समय कार्य गरेबापत अनिवार्य रूपमा ई हाजिरी लागु गरेर मात्र थप सुविधा प्रोत्साहन भत्ता दिन मिल्ने उल्लेख छ। भौ।नं। ५३।२०७८।०६।२३ र भौ।नं।५९१।२०७९।०३।११ बाट यस पालिकाका कर्मचारीहरूलाई गाउँसभाको निर्णयबाट गाउँसभामा सहयोग गरेबापत १ महिनाको तलब बराबर प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएको छ। अतिरिक्त कार्य गरेको प्रमाण बेगर भुक्तानी भएको नियमसंगत नदेखिएको रु. | | | | ३२२,२५२ |
| ४१ | | | दोहोरो सुविधा: सुदूरपश्चिम प्रदेश को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ अनुसार पदाधिकारीको अतिथि सत्कार वापतको रकम भुक्तानी सम्बन्धमा मासिक सेवा सुविधामा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। गाउँपालिका अध्यक्ष दिर्घराज बोगटीलाई मासिक सेवा सुविधा भुक्तानीमा नै अतिथि सत्कार वापतको रकम भुक्तानी गरिएकोमा भौ।नं।१२५ मिति २०७८।०८।०९ बाट अतिथि सत्कार वापतको खर्च बिल भर्पाईको आधारमा भुक्तानी गरेको पाइयो। यसरी कानुन विपरीत अध्यक्षलाई भुक्तानी भएको दोहोरो अतिथि सत्कार वापतको रकम असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु | | | | ७७,८३७ |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------------|--|------------------|-------------------------|--------------------|-----|---------------|-------|---------------------|--------|----------------|------------------|---------------|--------|----------------|------------|--------|-------|-------|--|--|--------|---------|
| ४२ | | | <p>फरक शिर्षकबाट खर्च: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७६ दफा ३९ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा बजेट तथा कार्यक्रमको सीमा भित्र रही खर्च गर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयको एकीकृत आर्थिक संकेत बर्गिकरण र व्याख्या २०७४ अनुसार बजेट खर्च लेख्दा तोकिएको खर्च शिर्षकबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले निम्नानुसार चालु शिर्षकबाट खर्च लेख्नुपर्नेमा फरक शिर्षकबाट खर्च लेखेको नियमसंगत नदेखिएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ।नं। मिति</th> <th>खर्च लेख्नुपर्ने शिर्षक</th> <th>खर्च लेखेको शिर्षक</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३४।२०७८।०६।२९</td> <td>इन्धन</td> <td>पारिश्रमिक कर्मचारी</td> <td>६८९८००</td> </tr> <tr> <td>५०६।२०७८।१२।१६</td> <td>संस्कृति जगेर्ना</td> <td>स्थानीय भत्ता</td> <td>२०००००</td> </tr> <tr> <td>५९७।२०७८।१२।१६</td> <td>विविध खर्च</td> <td>घरभाडा</td> <td>६५०००</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td>९४६८००</td> </tr> </tbody> </table> | भौ।नं। मिति | खर्च लेख्नुपर्ने शिर्षक | खर्च लेखेको शिर्षक | रकम | ३४।२०७८।०६।२९ | इन्धन | पारिश्रमिक कर्मचारी | ६८९८०० | ५०६।२०७८।१२।१६ | संस्कृति जगेर्ना | स्थानीय भत्ता | २००००० | ५९७।२०७८।१२।१६ | विविध खर्च | घरभाडा | ६५००० | जम्मा | | | ९४६८०० | ९४६,८०० |
| भौ।नं। मिति | खर्च लेख्नुपर्ने शिर्षक | खर्च लेखेको शिर्षक | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३४।२०७८।०६।२९ | इन्धन | पारिश्रमिक कर्मचारी | ६८९८०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५०६।२०७८।१२।१६ | संस्कृति जगेर्ना | स्थानीय भत्ता | २००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५९७।२०७८।१२।१६ | विविध खर्च | घरभाडा | ६५००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | ९४६८०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४३ | | | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४३.१ | | | <p>स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गराउन एवम् सामूदायिक पूर्वाधारहरूको विकास मार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थानीयतह भित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । कामका लागि रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशिकामा उल्लेखित व्यवस्थाहरूको पालना नगरी योजनाको छनौट अगावै अत्याधिक संख्यामा योजना छनौट भएको, पूर्वाधार एवम् अन्य विकास निर्माणका लागि अधिकांश योजना छनौट नभई अनुत्पादनमुलक कार्य गराउने गरी योजना छनौट भएका छन् । साथै श्रमिकको संख्या पनि अत्याधिक रहेकोले कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप लक्ष्य हाँसिल गर्ने गरी कार्यान्वयन भएको पाईएन । यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहभित्रका ६ वडाहरूका २८ योजनामा सडक मर्मत, सिंचाई कुलो, नाली, पदमार्ग, फिल्ड निर्माण कार्य लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस वर्ष ५२२ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराई रु. २९९२३६५०।- खर्च गरेको छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोराहरू निम्न छन् :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४३.२ | | | <p>पारिश्रमिक खर्च: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सन्चालन निर्देशिका, २०७५ को दफा २७ मा श्रमिकको काम बापतको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा स्थानिय तहमा कायम भएको अदक्ष कामदारको ज्याला दररेटको ८०</p> | ९,६२०,८७३.७ ८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | | | | | | बेरुजु रकम |
|---------|--|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| | | | <p>प्रतिशतले हुन आउने रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दर कायम हुने र दफा ६८ मा यो कार्यक्रम बापत पारिश्रमिकमा आधारित रोजगार आयोजनाका लागि मन्त्रालयबाट प्राप्त रकम पारिश्रमिकमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने र सामग्री बापतको रकम पालिकाले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ । समकार्यालयले लागत अनुमान तयार गर्दा आयोजनामा लाग्ने कामदार, सामग्री सहितको लागत अनुमान तयार गरेकोमा लागत अनुमानमा कामको परिमाण अनुसार लाग्ने जम्मा कामदार दिन संख्या (Man Days) गणना गर्नुपर्ने र जम्मा कामदार दिन संख्याको ज्याला रु. ५७७ को दरले ज्याला बापत कामदारको पारिश्रमिकको लागत अनुमान गर्नुपर्नेमा रु. ६१० को दरले आयोजनामा लाग्ने कामदार, सामग्री सहितको लागत अनुमान तयार गरी प्राविधिक मूल्यांकन अनुसारको पुरै रकम खर्च लेखेको छ । सो मूल्यांकन रकमले हुन आउने रकम बराबरको कामदारहरूको डोर हाजिर फाराम पेश गरी भुक्तानी गरेको देखियो । जसले गर्दा प्राविधिक मूल्यांकनबाट भएको कामको परिमाण अनुसार गणना हुन आउने कामदार संख्या भन्दा बढी संख्यामा कामदार संख्यालाई ज्याला (सामग्रीको लागत समेत) रकम भुक्तानी गरी निम्नानुसार पारिश्रमिकमा रु. १६२०८७२।- बढी खर्च भई थप व्ययभार पर्न गएकोले नियम सम्मत नदेखिएको रु.</p> | | | | | | | | |
| क्र.सं. | योजनाको नाम | वडा नं. | काम पाउने कामदार संख्या | भुक्तानी भएको कामदार संख्या | कामदारलाई भुक्तानी भएको रकम | कामको प्राविधिक मूल्यांकन रकम | प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार कामदार संख्या | भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम | गणना भएको बढी कामदार | बढी भुक्तानी रकम | |
| १ | द्वाणी देखि गाडबाटो सम्म घोरटो बाटो मर्मत | १ | ८ | ८०० | ४६१६०० | ४६१७५५ | ७८४.५७ | ४५२६९९ | १५.४३ | ८९०३.११ | |
| २ | खिरसैन छेपलाडी सडक मर्मत | १ | १८ | १८०० | १०३८६०० | १०३८७५९ | ८२८.२३ | ४७७८८७ | ९७१.७७ | ५६०७११.२९ | |
| ३ | साँझघाट देखि शान्तिनगर घोरटो बाटो निर्माण | १ | ८ | ८०० | ४६१६०० | ४६१८९० | ७६३.०६ | ४४०२८६ | ३६.९४ | २१३१४.३८ | |
| ४ | आसिकार्ने वडा कार्यालय सडक मर्मत | २ | ७ | ७०० | ४०३९०० | ४०४०४६ | ३४३.२४ | १९८०५० | ३५६.७६ | २०५८५०.५२ | |
| ५ | गेरेगाड देखि शेरागाड सम्म घोरटो बाटो निर्माण | ३ | ६ | ६०० | ३४६२०० | ३३३८४० | ५५८.१४ | ३२२०४५.६८ | ४१.८६ | २४१५३.२२ | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | | | | | | | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---|---|---|-----|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|
| ६ | | | गेरेगाड देखि बलमाटे सम्म घोरेटो बाटो मर्मत | ३ | 6 | ६०० | 346200 | ३७०७६४ | ५८३.७३ | 336812 | १६.२७ | 9387.79 |
| ७ | | | वडा कार्यालय पर्खाल मर्मत | ३ | 2 | २०० | 115400 | १०३२२० | १०६.५१ | 61456 | ९३.४९ | 53943.73 |
| ८ | | | वडा कार्यालय तथा सानागाड स्वास्थ्य चौकी सरसफाई | ४ | 2 | २०० | 115400 | 40205 | ६९.६८ | 40205 | १३०.३२ | 75194.64 |
| ९ | | | साँझघाट सरस्वती मावि देखि पानीटंकी सम्म घोरेटो बाटो मर्मत | ४ | 8 | ८०० | 461600 | 517709 | ८१६.६५ | 471207.97 | -१६.६५ | -9607.05 |
| १० | | | किमुगड्यान देखि धानुकाँडा सम्म घोरेटो बाटो मर्मत | ५ | 3 | ३०० | 173100 | 172966.59 | २८६.६४ | 165392.36 | १३.३६ | 7708.72 |
| ११ | | | छोलेगाड देखि वडा कार्यालय सम्म घोरेटो बाटो मर्मत | ५ | 4 | ४०० | 230800 | 230968.35 | ३८३.७१ | 221401.85 | १६.२९ | 9399.33 |
| १२ | | | बेलचुडा थापागाड देखि ठाटी सम्म घोरेटो बाटो मर्मत | ६ | 5 | ५०० | 288500 | 272808.72 | ४६६.६५ | 269255.52 | ३३.३५ | 19242.95 |
| १३ | | | सिमलडाडा थापागाड शान्तोला सडक मर्मत | ६ | 5 | ५०० | 288500 | 304132.15 | २५६.३९ | 147939.4 | २४३.६१ | 140562.97 |
| १४ | | | पोखरी देखि गाँजरी सडक मर्मत | ७ | 4 | ४०० | 230800 | 230905.6 | १९४.०१ | 111942.33 | २०५.९९ | 118856.23 |
| १५ | | | पालेबन देखि छोरदह सम्म घोरेटो बाटो मर्मत | ७ | 5 | ५०० | 288500 | 288869.3 | ४९०.८८ | 283235.17 | ९.१२ | 5262.24 |
| १६ | | | भवानी स्कुल देखि बगर सम्म घोरेटो बाटो मर्मत | ७ | 5 | ५०० | 288500 | 288849.5 | ४७४.८१ | 273965.54 | २५.१९ | 14534.63 |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | | | | | | | बेरुजु रकम | |
|------|------------|-----------|---|-----------------------------------|---|-----|-------|---------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|
| | | | १७ | बगर देखि बगडा सम्म सडक नाली मर्मत | ७ | 11 | ११०० | 634700 | 634949.95 | ४८३.९६ | 279247.48 | ६१६.०४ | 355455.08 |
| | | | जम्मा | | | 107 | १०७०० | ६१७३९०० | ६१५६६३८ | ७८९०.८६ | 4553028.3 | २८०९.१४ | 1620873.8 |
| ४४ | | | बाखाको साना व्यवसायिक कृषि केन्द्र (पकेट) कार्यक्रम | | | | | | | | | | |
| ४४.१ | २३३ | २०७९-३-२५ | कार्यक्रम खर्च : यस कार्यक्रम अन्तरगत कुलेकिण्डश्वरी कृषक समूहलाई २०७९।३।२५ मा काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७९।१।१२ मा संझौता गरी पेश भएको विल भरपाई अनुसार रु.१४५५२००।-भुक्तानी गरेको छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोराहरु निम्न छन् : | | | | | | | | | | |
| ४४.२ | | | कार्यक्रम सन्चालन म्यानुअल र सम्झौता कार्यान्वयन : कार्यालयले उक्त समूहलाई ३ वटा बयर बोका, १० वटा पाठी २० वटा वयर बाखा २५ वटा खरिवाखा खरिद, ३ वटा खोर निर्माण र घांसको विरुवा, औषधी खरिद बापत भुक्तानी दिएको छ । | | | | | | | | | | |
| ४४.३ | | | विमा तथा स्वास्थ्य जांच : एकिकृत बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्मबाट उक्त बोका तथा बाखाहरु विमा गराएको छैन । साथै उक्त बोका तथा बाखाहरुको स्वास्थ्य जांच गरेको प्रमाण देखिएन । अतः बोका तथा बाखाहरुको विमा तथा स्वास्थ्य जांच गराई जोखिमको न्यूनिकरण गर्नुपर्दछ । | | | | | | | | | | |
| ४४.४ | | | कार्यालयले स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदान प्राप्त गर्ने कृषकको नामनामेसि सहितको अभिलेख अध्याविधक गरी राख्नु पर्नेमा नराखेकोले अभिलेख नराखि पटक पटक एकै फर्म तथा व्यक्तीलाई अनुदान उपब्ध गराए नगराएको एकिन गर्न सकिएन । अतः उक्त अभिलेख राखी यसमा सुधार गर्नु पर्दछ । | | | | | | | | | | |
| ४४.५ | | | खरिद : उक्त समूहले बोका तथा बाखा खरिद गर्न ४ वटा फर्मसंग कोटेशन माग गरेको र नवदुर्गा एकिकृत पशु तथा कृषि फर्मले घटी दर पेश गरेपनि समूहले उक्त फर्मसंग नकिनी कोटेशन नै पेश नगरेका फर्मबाट खरिद गरेकोमा कारण उल्लेख गरेको छैन । अतः सार्वजनिक खरिद नियमको पालना गरेको देखिएन । | | | | | | | | | | |
| ४४.६ | | | प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदन : उक्त म्यानुअल बमोजिम कार्यालयले कार्यक्रमको अनुगमन मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्नेमा गरेको देखिएन । अतः अनुगमन मूल्यांकन गरि पृष्ठपोषण सहितको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्दछ । | | | | | | | | | | |
| ४५ | | | अदुवा बेसारको साना व्यवसायिक कृषि केन्द्र (पकेट) कार्यक्रम | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------|---|------------|----------------|----------------|------|------|------------|-------------------|--|--|--|-------------------|--------|------|------|------------|--------|------|------|------------|---|------------------|----|----|---|----|----|----|----|----|------|---|-------------------|----|----|---|----|----|----|----|----|------|--|
| | | | <p>कार्यक्रम खर्च: यस कार्यक्रम अन्तरगत सर्वाहारा एकिकृत कृषि समूहलाई अनुदान बापत रु.११५५७२०।-भुक्तानी गरेको छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोराहरू निम्न छन् :</p> <p>(क) कार्यक्रम सन्चालन म्यानुअल र सम्झौता कार्यान्वयन : कार्यालयले उक्त समूहका २१ जनालाई अदुवाको विउ ४४०० के.जी., बेसारको विउ १७६ के.जी., मल, स्प्रे र औषधी आदि खरिद बापत अनुदान दिएको छ ।</p> <p>(ख) प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदन : उक्त म्यानुअल बमोजिम कार्यालयले कार्यक्रमको अनुगमन मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्नेमा गरेको देखिएन । अतः अनुगमन मूल्यांकन गरि पृष्ठपोषण सहितको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्दछ ।</p> <p>(ग) उक्त अनुदानबाट भए गरेका कामको मूल्यांकन र अनुदान वितरणबाट रोजगारी, उत्पादकत्व, राजस्व योगदान र नमुना तथा उत्प्रेरणाको कार्य भए नभएको सम्बन्धमा समिक्षा गर्नुपर्नेमा गरेको छैन ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४६ | | | शिक्षा तर्फ (स्थानीय तह) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४६.१ | | | <p>कार्यालयले शिक्षक कर्मचारीहरूको तलव भत्ता, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक लगायतका अन्य खर्च लेख्दा गोश्वारा भौचरको साथमा विद्यालयहरूलाई दिएको निकास रकमको पुष्ट्याई हुने विद्यालयहरूको नाम र शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरूको नाम नामेसी सहितको तलवी फारम तथा अन्य सम्बन्धित विवरण संलग्न गरी राख्नु पर्नेमा विद्यालयको नाम र निकास रकमको मात्र प्रमाण राखेको देखियो । गोश्वारा भौचरको साथमा उक्त विवरण नराख्दा के कति दरमा कति निकास हुनुपर्ने हो सो नखुल्ने हुनाले बढी निकास जाने सम्भावना हुन्छ । अतः निकास दिदा विद्यालयहरूलाई दिएको निकास रकमको पुष्ट्याई हुने गरी विद्यालय तथा शिक्षकहरूको नाम नामेसी सहितको तलवी फारम तथा अन्य विवरण गोश्वारा भौचरसाथ संलग्न गरी राख्नुपर्ने देखिन्छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४६.२ | | | <p>शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्ति : यस गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसार शिक्षकको पदपूर्ति भई नियमित पठनपाठनको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यस स्थानीय तह अन्तर्गत विभिन्न तहका सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था एवं विद्यार्थीको संख्या निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">सि.नं.</th> <th rowspan="2">विद्यालयको नाम</th> <th colspan="4">शिक्षक दरबन्दी</th> <th colspan="4">पदपूर्ति</th> <th rowspan="2">विद्यार्थी संख्या</th> </tr> <tr> <th>स्थायी</th> <th>राहत</th> <th>करार</th> <th>नीजि स्रोत</th> <th>स्थायी</th> <th>राहत</th> <th>करार</th> <th>नीजि स्रोत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>आधारभुत विद्यालय</td> <td>४९</td> <td>४०</td> <td>०</td> <td>२९</td> <td>३२</td> <td>३९</td> <td>१६</td> <td>२९</td> <td>३७४९</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>माध्यमिक विद्यालय</td> <td>४९</td> <td>४०</td> <td>०</td> <td>१७</td> <td>३६</td> <td>४०</td> <td>१३</td> <td>१७</td> <td>४०१४</td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं. | विद्यालयको नाम | शिक्षक दरबन्दी | | | | पदपूर्ति | | | | विद्यार्थी संख्या | स्थायी | राहत | करार | नीजि स्रोत | स्थायी | राहत | करार | नीजि स्रोत | १ | आधारभुत विद्यालय | ४९ | ४० | ० | २९ | ३२ | ३९ | १६ | २९ | ३७४९ | २ | माध्यमिक विद्यालय | ४९ | ४० | ० | १७ | ३६ | ४० | १३ | १७ | ४०१४ | |
| सि.नं. | विद्यालयको नाम | शिक्षक दरबन्दी | | | | पदपूर्ति | | | | विद्यार्थी संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | स्थायी | राहत | करार | नीजि स्रोत | स्थायी | राहत | करार | नीजि स्रोत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | आधारभुत विद्यालय | ४९ | ४० | ० | २९ | ३२ | ३९ | १६ | २९ | ३७४९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | माध्यमिक विद्यालय | ४९ | ४० | ० | १७ | ३६ | ४० | १३ | १७ | ४०१४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|------------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|------|--|
| | | | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> <td>९८</td> <td>८०</td> <td>०</td> <td>४६</td> <td>६८</td> <td>७९</td> <td>२९</td> <td>४६</td> <td>७७६३</td> </tr> </table> <p>प्राप्त विस्तृत दरबन्दी तथा पदपूर्ति विवरण अनुसार शिक्षक दरबन्दी तथा पदपूर्ति र विद्यार्थी संख्याको विश्लेषण गर्दा ४३ मध्ये ७ वटा विद्यालयमा शुन्य दरबन्दी रहेको तर विद्यार्थी संख्या उल्लेख भएको देखिन्छ । हालको मौजुदा दरबन्दी लाई विश्लेषण गर्दा श्री महालक्ष्मी आ.वि.मा २३७ जना विद्यार्थी भएकोमा ३ जना शिक्षक दरबन्दी रहेकोले शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १:७९ छ अर्थात १ जना शिक्षकले ७९ जना विद्यार्थी लाई अध्यापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै श्री कालिक आ.वि.मा ४२ जना विद्यार्थीको लागि ३ शिक्षक दरबन्दी भएको र अनुपात करिब १:१४ छ । अतः पालिकाले विद्यार्थी अनुसार दरबन्दी मिलान तथा विद्यार्थी संख्या कम देखिएको विद्यालयहरू मर्ज गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।</p> | | | ९८ | ८० | ० | ४६ | ६८ | ७९ | २९ | ४६ | ७७६३ | |
| | | ९८ | ८० | ० | ४६ | ६८ | ७९ | २९ | ४६ | ७७६३ | | | | | |
| ४६.३ | | | <p>पाठ्यपुस्तक वितरण: कार्यालयले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने नेपाल सरकारको निति अनुसार विद्यालयहरूलाई दिएको निकासाबाट खरिद पाठ्यपुस्तक सम्बन्धित विद्यार्थीले प्राप्त गरेको हुनु पर्दछ । पालिका क्षेत्रभित्र पालिकाले पाठ्यपुस्तकको रकम निकासा दिनुपर्ने ३६ विद्यालयहरूका लागि यो वर्ष रु. निकासा खर्च भएको देखियो यस सम्बन्धमा देखिएको व्यहोराहरू निम्न छन्</p> <p>(१) कार्यक्रम कार्यान्वयन : कार्यालयले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने नेपाल सरकारको निति अनुसार विद्यालयहरूलाई दिएको निकासाबाट खरिद पाठ्यपुस्तक सम्बन्धित विद्यार्थीले प्राप्त गरेको हुनु पर्दछ । शिक्षा तथा मानव श्रोत केन्द्रबाट प्रकाशित आ.व. २०७८।७९को कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा कृयाकलाप नं. मा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनमा देहायको अवस्था देखिएकोले सुधार हुनुपर्दछ ।</p> <p>(क) IEMIS मा प्रविष्ट तथ्यांकलाई स्थानिय तह अन्तरगत सन्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा १-१२ कक्षा सम्मका विद्यार्थीहरूको यथार्थ तथ्यांकसंग सत्यापन गराई सत्यापित विवरण शिक्षा अधिकृतबाट प्रमाणित गरी सोका आधारमा आवश्यक कक्षागत र विषयगत पाठ्यपुस्तकको संख्या एकिन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा त्यस अनुसार अभिलेख अद्यावधिक गराएको देखिएन ।</p> <p>(ख) यकिन संख्याको आधारमा दोश्रो चौमासिकमा विद्यालयलाई अनुदान दिने र यसरी अनुदान दिँदा पहिलो पटक विद्यार्थी संख्याको ७५ प्रतिशत संख्यालाई अनुदान दिने र २०७९ वैशाखबाट शुरु हुने शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्नाको विवरण, पाठ्यपुस्तक खरिद तथा वितरण गरेको विवरणको आधारमा एकिन गरी नपुग रकम मात्र अनुदान दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यस अनुसार हुने गरेको देखिएन ।</p> <p>(ग) विद्यार्थीले शैक्षिक</p> | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---|------------|
| | | | सत्रको सुरुमै पूरा सेटमा पाठ्यपुस्तक पाए नपाएको अनुगमन गरी उपलब्धताको सुनिश्चितता स्थानिय तहबाट गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अनुगमन गर्ने गरेको देखिएन । | |
| ४६.४ | १८९ | २०७९-३-१३ | <p>स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन: कार्यालयले आ.व. २०७८।७९ मा शिलवन्दी दरभाउपत्र माग गरी सवभन्दा घटी दरभाउपत्र पेश गर्ने गोदावरी मेडिसिन सप्लायर्सबाट २४००० प्याकेट स्यानिटरी प्याड खरिद गरी रु. १३८५०००।-भुक्तानी गरेको छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोराहरु निम्न छन् :</p> <p>(क) सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम अनुसार मालसामान खरिद गर्दा खरिद आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै स्यानिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ को दफा ३(४) मा स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सामूदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको तथ्यांकसंग भिडाइ सोही परिमाणमा स्यानिटरी प्याड खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यालयले लागत अनुमान तयार गर्दा विद्यालय वाइज छात्राको संख्या र सो संख्या बमोजिम खरिद गर्नुपर्ने आवश्यक परिमाणको पहिचान नगरी खरिद गरेको देखियो । अतः छात्राको संख्या बमोजिम आवश्यक परिमाण पहिचान गरी खरिद गर्नु पर्दछ ।</p> <p>(ख) परिच्छेद ३ को दफा ५ मा विद्यालयले आफ्ना छात्राहको संख्याका आधारमा आवश्यक स्यानिटरी प्याड माग गरी स्थानिय तहमा पठाउनु पर्ने र माग भएको संख्यालाई शिक्षा शाखाले स्थानिय तहमा भएको IEMIS तथ्यांकसंग भिडाई आवश्यक हुने स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा प्रत्येक विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको स्यानिटरी अभिलेख अलग रूपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । बार्षिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी शैक्षिक सत्रको शुरुमै खरिद एवं वितरण गर्नुपर्ने उक्त सामग्री आर्थिक वर्षको अन्तमा खरिद गरिएको तथा खरिद गरिएको २४००० पाकेट लेखापरीक्षणको अवधि २०७८।५।१३ सम्म पनि मौज्दातमै रहेको र सो वितरण नगर्नुले कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप विद्यार्थीले प्रयोग गर्न नपाउने स्थिति देखियो । स्यानिटरी प्याड खरिदमा प्रत्येक वर्ष बजेट प्राप्त हुने तर समयमा खरिद नहुने, खरिद भएपनि वितरण नहुने आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र खरिद हुने तर वितरण नहुने हुनाले यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएन । यस्ता सामग्री शैक्षिक सत्रको शुरुमै खरिद गरी वितरण हुनुपर्ने भनी गत वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरेकोमा कार्यालयले सुधार गरेको पाइएन । अतः उक्त स्यानिटरी प्याड वितरण गरी विद्यालय र छात्राको संख्या उल्लेख भएको विवरण सहितको भरपाई पेश गर्नुपर्ने देखिएको रु.</p> | १,३८५,००० |
| ४६.५ | २३३ | २०७९-३-२५ | बिल भरपाई :आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (१०) मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक बिल भरपाई वा कागजात संलग्न भए नभएको र भुक्तानी दिन रित पुगे नपुगेको जांच | १००,००० |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---|--------------|---------|-----|--------------|--|--------|--------------|--|--------|--------------|---|--------|--------------|-----------------|--------|-----|--|--------|--|-------|---------|--|
| | | | गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले इपिडेमियोलोजी रिपोर्टिङ वापत रु. १०००००।-बजेट खर्च लेखेकोमा विल भरपाई संलग्न नभएकोले सोको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४६.६ | २ | २०७८-६-१ | कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख भए अनुसार निकास गएको रकमको सो कार्य भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्दछ । विद्यालय सन्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान बापत ४२ वटा विद्यालयहरूलाई विद्यालय सुधार योजना निर्माण तथा समाजिक लेखापरीक्षण बापत रु. १८८५०००।-भुक्तानी भएकोमा उक्त क्रियाकलाप सम्पन्न गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु. | १,८८५,००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४७ | | | आलेप बेरुजु | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४७.१ | | | गाँउपालिकाले देहायको खर्च प्रयोजन नखुलाई लेखेकोले नियम सम्मत देखिएन । अत प्रयोजन खुलाएर खर्च लेखुपर्ने आन्तरीक लेखापरीक्षकले दिएको सुझाव हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोले फर्स्यौट गर्नु पर्दछ । | १,०७१,१३० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.न.मिति</th> <th>व्यहोरा</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>५७-२०७८।७।२५</td> <td>किसन होटल एण्ड लजलाई भएको भुक्तानी रु.</td> <td>१३७६९०</td> </tr> <tr> <td>६८-०७८।७।२८</td> <td>होटल वर्षालाई रु.</td> <td>११३०००</td> </tr> <tr> <td>३०८-०७८।१०।८</td> <td>थ्याङ्क्यु विजिनसबाट खरिद टेन्ट र त्रिपालको प्रयोजन रु.</td> <td>४९७२००</td> </tr> <tr> <td>३१३-०७८।१०।८</td> <td>पवन दिप होटल रु</td> <td>१५०३६०</td> </tr> <tr> <td>४९४</td> <td>घर भाडा शिर्षकबाट एनएनवि खुद्रा पसललाई रु.</td> <td>१७२८८०</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>१०७११३०</td> </tr> </tbody> </table> | गो.भौ.न.मिति | व्यहोरा | रकम | ५७-२०७८।७।२५ | किसन होटल एण्ड लजलाई भएको भुक्तानी रु. | १३७६९० | ६८-०७८।७।२८ | होटल वर्षालाई रु. | ११३००० | ३०८-०७८।१०।८ | थ्याङ्क्यु विजिनसबाट खरिद टेन्ट र त्रिपालको प्रयोजन रु. | ४९७२०० | ३१३-०७८।१०।८ | पवन दिप होटल रु | १५०३६० | ४९४ | घर भाडा शिर्षकबाट एनएनवि खुद्रा पसललाई रु. | १७२८८० | | जम्मा | १०७११३० | |
| गो.भौ.न.मिति | व्यहोरा | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५७-२०७८।७।२५ | किसन होटल एण्ड लजलाई भएको भुक्तानी रु. | १३७६९० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६८-०७८।७।२८ | होटल वर्षालाई रु. | ११३००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३०८-०७८।१०।८ | थ्याङ्क्यु विजिनसबाट खरिद टेन्ट र त्रिपालको प्रयोजन रु. | ४९७२०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३१३-०७८।१०।८ | पवन दिप होटल रु | १५०३६० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४९४ | घर भाडा शिर्षकबाट एनएनवि खुद्रा पसललाई रु. | १७२८८० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | १०७११३० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४७.२ | | | गाँउपालिकाले गरेको देहायको खर्चको सम्बन्धमा आन्तरिक लेखापरीक्षण हुँदा नियम सम्मत नदेखिएको भनि बेरुजु ओल्याइएको छ । अत आन्तरीक लेखापरीक्षकले दिएको सुझाव हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोले फर्स्यौट गर्नु पर्दछ । | ५००,७२७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.न.मिति</th> <th>व्यहोरा</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१-२०७८।८।२०</td> <td>कृषि शाखाका बल बहादुर कडायतलाई पोली हाउस अनुगमन गर्न दिएको भत्ता रु.</td> <td>२५०००</td> </tr> <tr> <td>६१-२०७८।१२।६</td> <td>घोगीस्वाडा सिचाइ कुलोको ल.ई. र संझौता फरक पारेको रु.</td> <td>२०१०२४</td> </tr> </tbody> </table> | गो.भौ.न.मिति | व्यहोरा | रकम | १-२०७८।८।२० | कृषि शाखाका बल बहादुर कडायतलाई पोली हाउस अनुगमन गर्न दिएको भत्ता रु. | २५००० | ६१-२०७८।१२।६ | घोगीस्वाडा सिचाइ कुलोको ल.ई. र संझौता फरक पारेको रु. | २०१०२४ | | | | | | | | | | | | | |
| गो.भौ.न.मिति | व्यहोरा | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १-२०७८।८।२० | कृषि शाखाका बल बहादुर कडायतलाई पोली हाउस अनुगमन गर्न दिएको भत्ता रु. | २५००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६१-२०७८।१२।६ | घोगीस्वाडा सिचाइ कुलोको ल.ई. र संझौता फरक पारेको रु. | २०१०२४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---|--|------------|
| | | | ६६-०७८।१२।६ | टिप्पणी स्वीकृत नगरी ग्लोबल मिडीया प्रा.लि. लाई सुचना प्रकाशनको खर्च लेखेको रु. | २७४७०३ |
| | | | | जम्मा | ५००७२७ |
| ४७.३ | | | गाँउपालिकाले देहायको विद्यालयलाई भवन निर्माण गर्न दिएको रकमको विद्यालयबाट कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुनु पर्ने रु.५२२००००।०० । अत कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरी खर्च लेखुपर्ने आन्तरीक लेखापरीक्षकले दिएको सुझाव हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोले फर्स्यौट गर्नु पर्दछ । | | ५,२२०,००० |
| | | | गो.भौ.न.मिति | विद्यालयको नाम | रकम |
| | | | ४३-२०७९।३।२५ | श्री शाजेन्द्रश्वर मा.वि.फुलोटाई रु. | ३४२०००० |
| | | | ४४-०७९।३।२५ | श्री नृभुश्वरी आधारभुत विद्यालयलाई रु. | १८००००० |
| | | | | जम्मा | ५२२०००० |
| ४७.४ | | | गाँउपालिकाले देहायको खर्च प्रयोजन नखुलाई लेखेकोले नियम सम्मत देखिएन । अत प्रयोजन खुलाएर खर्च लेखुपर्ने आन्तरीक लेखापरीक्षकले दिएको सुझाव हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोले फर्स्यौट गर्नु पर्दछ । | | १०३,००० |
| | | | गो.भौ.न.मिति | व्यहोरा | रकम |
| | | | ५८-२०७८।११।२७ | प्रस्ताव पेश नगरी मेनुका कुमारी खड्कालाई कार्यक्रम खर्च रु. | १००००० |
| | | | ५९-०७८।११।२७ | मेनुका कुमारी खड्काले पेश गरेको बिल सच्याएको रु. | ३००० |
| | | | १९५-०७९।३।२३ | कोभिडबाट प्रभावितलाई नगद वितरण गर्न ७ वटै वडा सचिवको १ लाखको दरले पेशकी रु.७०००००।०० | |
| | | | | जम्मा | १०३००० |
| ४९ | | | सम्परीक्षण र बेरुजुको अद्यावधिक स्थिति | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|---------------|--------------|---|------------|
| | | | (क) सम्परीक्षण : सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को नियम ३८ बमोजिम अन्तिम लेखापरीक्षणबाट औल्याईएको बेरुजु असुल, नियमित तथा सम्परीक्षण गरी फर्स्यौँट गर्नु पर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । पालिकाले बेरुजु सम्परीक्षणको लागि अनुरोध गरेको छैन । अतः पालिकाले बेरुजुहरू नियमानुसार फर्स्यौँट गर्नु पर्दछ । | |